

[2023] 10 एस सी आर 867:2023 आई. एन. एस. सी 655

क.

वेरनन

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील सं. 639) जुलाई 28, 2023

[अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-अध्याय 4 और 6। 16, 17, 18, 18 बी, 20, 38, 39, 40 और एसएस। 13, 43 डी (5)-जमानत से इनकार-जब उचित नहीं था-भीमा-कोरेगांव हिंसा-एफ. आई. आर.-जाँच के दायरे का विस्तार किया गया-अपीलार्थियों के आवासों/कार्यस्थलों पर तलाशी ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया-एन. आई. ए. का मामला यह है कि गिरफ्तार सह-अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद विभिन्न पत्रों और अन्य सामग्रियों में अपीलार्थियों की सी. पी. आई. (माओवादी) के साथ संलिप्तता दिखाई गई, जो 1967 के अधिनियम की पहली अनुसूची में एक आतंकवादी संगठन के रूप में रखा गया था-यह आरोप है कि अपीलार्थियों ने उक्त संगठन के कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई और अपीलार्थियों में से एक की वित्तीय प्रबंधन में भी भूमिका थी-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपीलार्थियों की जमानत याचिका-आयोजित जिन पत्रों के माध्यम से अपीलकर्ताओं को फंसाने की मांग की जाती है, उनकी सामग्री सह-अभियुक्तों से बरामद सुनी-सुनाई गई सबूत की प्रकृति की होती है-इन पत्रों या किसी अन्य सामग्री में अपीलकर्ताओं के लिए कोई गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकवादी कार्य नहीं बताया गया था-पत्र अपीलकर्ताओं से बरामद नहीं किए गए थे-इसलिए, इन संचार या सामग्री का संभावित मूल्य या गुणवत्ता कमजोर है-अध्याय IV और VI के तहत गिने गए अपराधों को करने की साजिश का कोई विश्वसनीय मामला-सेमिनारों में केवल भागीदारी ही 1967 के अधिनियम की जमानत-प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अपराध नहीं हो सकती है-कोई भी सामग्री यह प्रदर्शित नहीं की गई थी कि अपीलकर्ता आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं-जिन निधियों से निपटने के लिए अपीलकर्ता में से किसी एक को जिम्मेदार ठहराया गया था, उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

867 ए.

868 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

खारिज किए गए निर्णय-अपीलार्थियों को जमानत पर रिहा किया जाए, ऐसे नियमों और शर्तों पर जिन्हें विशेष न्यायालय उचित समझता है-लागू की जाने वाली शर्तें, गणना की गई-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 121, 121 ए, 124 ए, 153 ए, 505 (1) (बी), 117, 120 बी आर/डब्ल्यू 34-भारत का संविधान-कला। 14, 21 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008-जमानत।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 -एस. 15 (1) (ए)-(सी)-जब आकर्षित नहीं होता है-आयोजित:अभियोजन पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सामग्री में, धाराओं के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट कार्य नहीं हैं। 15(1) अपीलार्थियों को जिम्मेदार ठहराया

जा सकता है-न ही उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप है जो धाराओं के उपखंड (सी) को आकर्षित करे।15(1) - इसके अलावा, केवल कुछ साहित्यों को धारण करना जिनके माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, वास्तव में एस के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।15(1)(ख)-इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, अपीलार्थियों के खिलाफ कोई मामला नहीं है।15(1) (बी)।

ग

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 -एस 20-एस को दी गई व्याख्या।20 डॉ. आनंद में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा

डी.

तेलतुम्बडे बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और एक अन्य मामला

यह परीक्षण कि कौन आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होगा, पुष्टि की-वर्तमान मामले में, तथ्यों पर, उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर कार्यवाही के इस चरण में अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 20 लागू नहीं की जा सकती है।

ई.

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 -एस. 2 (के), 2 (एम), 15-आयोजित: "आतंकवादी कार्य "जैसा कि यू/एस परिभाषित किया गया है।2(के) एस में इसका निर्दिष्ट अर्थ रखता है।15 - यह धारा यह भी निर्धारित करती है कि "आतंकवाद" और "आतंकवादी" अभिव्यक्तियों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा-इसका तात्पर्य इन दोनों अभिव्यक्तियों का निर्माण उसी तरह से करना है जैसे एस में किया गया है।15 - "आतंकवादी संगठन "को स्वतंत्र रूप से एस में परिभाषित किया गया है।2(एम)-लेकिन जहां तक "आतंकवादी" शब्द का संबंध है, इस खंड में भी, इसकी व्याख्या उसी अभिव्यक्ति से संबंधित होगी जिसका उपयोग एस में किया गया है।15 - कानून के विभिन्न भागों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति सामान्य रूप से एक ही अर्थ को व्यक्त करेगी जब तक कि एक ही अधिनियम के विभिन्न भागों से विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है-ऐसा कोई विपरीत इरादा 1967 के अधिनियम-कानूनों की व्याख्या में नहीं पाया जाता है।जमानत-न्यायालय का कर्तव्य-आयोजित:न्यायालय का कर्तव्य है कि वह केस डायरी के अवलोकन या यू/एस द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर एक राय तैयार करे। 173, सी. आर. पी. सी. कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ए

च

जी.

एच.

869

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, अपीलार्थियों की जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.173-आपराधिक कानून।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967।38, 20 - आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध-आयोजित:एस के दायरे में लाना।38, यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई एक सहयोगी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का दावा करता है-लेकिन इस तरह के प्रावधान के तहत फंसाये गए व्यक्ति की ओर से ऐसे संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा होना चाहिए-किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता के संबंध में एक ही तर्क।20, एस में संलिप्त एक कथित अपराधी के संबंध में आवेदन करना चाहिए।38 - आतंकवादी कृत्य में शामिल होने के इरादे का सबूत होना चाहिए-जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, इस स्तर पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके।

डी.

जमानत-प्रथम दृष्टया "परीक्षण"-आयोजित:यह प्रथम दृष्टया "परीक्षण" को तब तक संतुष्ट नहीं करेगा जब तक कि जमानत देने के प्रश्न की जांच के चरण में साक्ष्य के संभावित मूल्य का कम से कम सतह-विश्लेषण न हो और गुणवत्ता या संभावित मूल्य न्यायालय को उसके मूल्य-आपराधिक कानून से संतुष्ट न करे।

ई.

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967।38, 39, 43 डी (5)-"आगे की गतिविधियों का इरादा"-
आयोजित:आतंकवादी संगठन के "आगे की गतिविधियों के इरादे" वाक्यांश को दी गई व्याख्या भी एस के संबंध में उसी तरह से लागू हो सकती है।39 - वर्तमान मामले में, किसी भी आतंकवादी कृत्य के अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है या एस के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऐसा करने की साजिश में प्रवेश नहीं किया गया है।43 डी (5)।

च

जमानत-गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967-स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 -एस. 37-आयोजित:1967 के अधिनियम के तहत जमानत के प्रश्न की जांच करते समय न्यायालय पर प्रतिबंध एस के प्रावधानों की तुलना में कम कठोर हैं।37, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985-आपराधिक कानून।

जी.

जमानत-गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-जमानत प्रतिबंध धाराएँ-संवैधानिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-
आयोजित:एक जमानत प्रतिबंध खंड एक के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता है

एच.

870 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

संवैधानिक न्यायालय परीक्षण में यदि किसी मामले में निरंतर निरोध अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता की अवधारणा का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे मामले में लागू होगा जहां इस तरह के जमानत-प्रतिबंध खंड को प्रथम दृष्टया कम संभावित मूल्य या गुणवत्ता वाली सामग्री के आधार पर लागू किया जा रहा है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 21-आपराधिक कानून।

आपराधिक कानून-एक कानून के सख्त प्रावधान-की व्याख्या-आयोजित:जब कानूनों में कड़े प्रावधान होते हैं, तो अदालत का कर्तव्य अधिक कठिन होता है-अपराध जितना भी गंभीर हो, यह देखने के लिए अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराध अधिनियम के चार कोनों के भीतर आता है-गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987-कानूनों की व्याख्या।

ग

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:1.1 जैसा कि एन. आई. ए. द्वारा उद्धृत साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट होगा, अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से किए गए कार्यों को तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।पहला एक आतंकवादी संगठन के साथ उनका जुड़ाव है जिसका दावा अभियोजन पक्ष पत्रों और गवाहों के बयानों से करता है।लेकिन इन बयानों और दस्तावेजों के बारे में प्रथम दृष्टया विचार करते समय इस न्यायालय को जिस बात की जानकारी होनी चाहिए, वह यह है कि उनमें से किसी को भी अपीलार्थियों से जब्त या बरामद नहीं किया गया था, लेकिन ये बरामदगी कथित तौर पर सह-अभियुक्तों से की गई थी।अपीलार्थियों के कथित आक्रामक कृत्यों का दूसरा प्रमुख साहित्य में हिंसा का प्रचार करना और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने को बढ़ावा देना है।लेकिन फिर से, यह एन. आई. ए. का मामला नहीं है कि दोनों अपीलार्थियों में से कोई भी उनके आवासों से मिली सामग्री का लेखक है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।इनमें से किसी भी साहित्य को विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ताकि केवल उन्हें रखते हुए अपराध का गठन किया जा सके।तीसरा, जहां तक ए. एफ. का संबंध है, कुछ सामग्री वित्त के संचालन की ओर इशारा करती हैं।लेकिन इस तरह के वित्त, उन

सामग्रियों के अनुसार जिनके माध्यम से लेनदेन स्थापित करने की मांग की जाती है, यह दर्शाता है कि लेनदेन मुख्य रूप से मुकदमेबाजी के उद्देश्य से था, यह हमें लगता है, हिरासत में लिए गए पक्ष व्यक्तियों की ओर से। इसके अलावा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के कानूनी मोर्चे के गठन या उसके साथ जुड़ाव का श्रेय भी ए. एफ. को दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करते हुए यह मत नहीं व्यक्त किया कि ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

871

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच नहीं थे। अपीलार्थियों के विरुद्ध **1967** के अधिनियम के अध्याय **4** और **6** के अंतर्गत आने वाले अपराध धारा **16, 17, 18, 18 बी, 20, 38, 39** और **40** हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सामग्री में, **1967** अधिनियम की धारा **15 (1)** के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यों का श्रेय अपीलार्थियों को नहीं दिया जा सकता है। न ही उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप है जो उक्त कानून की धारा **15 (1)** के उपखंड (सी) को आकर्षित करे। जहां तक धारा **15 (1) (बी)** में निर्दिष्ट कार्यों का संबंध है, अपीलार्थियों से कथित रूप से बरामद किए गए कुछ साहित्य स्वयं ऐसी गतिविधियों के प्रचार का संकेत देते हैं। लेकिन अपीलार्थियों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करे कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन या अपीलार्थियों द्वारा ऐसा करने के प्रयासों के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को परेशान करने वाली हों। न ही उनके खिलाफ किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मौत या ऐसे पदाधिकारी की मौत का प्रयास करने का आरोप है। केवल कुछ साहित्यों को धारण करना जिनके माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, वास्तव में उक्त अधिनियम की धारा **15 (1) (बी)** के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह न्यायालय यथोचित रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है कि **1967** अधिनियम की धारा **15 (1) (बी)** के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी मामले को सही माना जा सकता है। [पारस **24** और **26**] [903-बी-एफ; 904-बी-ई]

ग

डी.

ई.

1.2 1967 के अधिनियम की धारा **17** आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने के लिए सजा से संबंधित है। यहां भी जिन निधियों से निपटने का श्रेय ए. एफ. को दिया गया है, उन्हें किसी भी आतंकवादी कृत्य से नहीं जोड़ा जा सकता है। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे के मामले में भी इसी विवरण का उल्लेख किया गया था। "इन मामलों" के वित्तीय खर्चों का प्रबंधन करने के लिए एएफ से कहने के लिए एक अनाम व्यक्ति से 'एस' से अनुरोध भी किया गया है। एएफ के मामले में एनआईए के जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक "आर-19" में भेलके उपनाम के साथ एक और "ए" का नाम सामने आया है। यह एक गवाह के बयान की प्रति है। प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की पुष्टि के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि यह वही अरुण (यानी एएफ) था जिसे 'डी' से धन प्राप्त हुआ था। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी पेश नहीं की है कि वास्तविक धन प्रेषित किया गया था। **5 नवंबर 2017 ("आर-5")** को कथित रूप से "एस" से "पी" संबोधित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई है।

च

जी.

एच.

872 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

ए. एफ. को भुगतान किया जा रहा है। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे के मामले में निर्णय के उपरोक्त पारित होने में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लागू तर्क, जिसे इस न्यायालय द्वारा कायम किया गया है, ए. एफ. के मामले में भी लागू होना चाहिए। [पैरा 27 और 28] [904-ई-एफ; 905-डी-एफ]

1.3 यह राय बनाना संभव नहीं है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ आतंकवादी कार्य करने या साजिश रचने का आरोप प्रथम दृष्टया सच है। गवाह के बयान अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी आतंकवादी कृत्य का उल्लेख नहीं करते हैं। जिन पत्रों में अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी एक को संदर्भित किया गया है, उनकी प्रतियां विभिन्न व्यक्तियों के बीच संचार में निहित अपीलकर्ताओं की गतिविधियों की केवल तीसरे पक्ष की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया को दर्ज करती हैं। ये अपीलार्थियों से बरामद नहीं किए गए हैं। इसलिए, इन संचारों या उनकी सामग्री का संभावित मूल्य या गुणवत्ता कमजोर है। यह स्थिति होने के कारण, इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, अपीलार्थियों के खिलाफ न तो धारा 18 और न ही 18 बी के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। नामित आतंकवादी संगठन की गतिविधियों के साथ अपीलार्थियों के संबंध को तीसरे पक्ष के संचार के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा, इनमें से किसी भी संचार में किसी भी आतंकवादी कृत्य में अपीलार्थियों की वास्तविक संलिप्तता सामने नहीं आई है। न ही 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत गिने गए अपराधों को करने की साजिश का कोई विश्वसनीय मामला है। सेमिनारों में केवल भाग लेना ही 1967 के अधिनियम की जमानत-प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अपराध नहीं हो सकता है, जिसके तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं। [पैरा 29] [905-एफ-एच; 906-ए-बी]

ग

डी.

ई.

च

1.4 जहाँ तक 1967 के अधिनियम की धारा 20 के अनुप्रयोग का संबंध है, डॉ. आनंद तेलतुम्बडे के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान का अर्थ निकाला। इस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया गया है और यह न्यायालय 1967 के अधिनियम की धारा 20 को दी गई इस व्याख्या की पुष्टि भी करता है ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि कौन आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होगा। इसके अलावा, एन. आई. ए. द्वारा कोई सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई है कि अपीलकर्ता आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक अग्रणी संगठन के रूप में आई. ए. पी. एल. के साथ ए. एफ. की भागीदारी को स्थापित करने की मांग की गई है, और इसे ए.

जी.

एच.

873

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

आरोप पत्र में भी। लेकिन आई. ए. पी. एल. और सी. पी. आई. (माओवादी) के बीच संबंध को किसी भी सामग्री के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। ए. एफ. और वी. जी. को सी. पी. आई. (माओवादी) के सदस्यों के रूप में संदर्भित करना संरक्षित गवाह के बयान से प्रकट होता है, लेकिन यह संबंध वर्ष 1 के बीच की घटनाओं के संबंध में बनाया

गया है, इससे पहले कि संगठन को **1967** के अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद से सदस्यता जारी रखने का कोई सबूत इस अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया है। न ही आई. ए. पी. एल. को सी. पी. आई. (माओवादी) के साथ इसके अग्रणी संगठन के रूप में जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय यह नहीं सोचता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर कार्यवाही के इस चरण में अपीलार्थियों के खिलाफ धारा **20** लागू की जा सकती है। [पैरा **30** और **31**] [906-सी, एफ-एच; 907-ए-बी]

ग

डॉ. आनंद तेलतुम्बडे बनाम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

और एक और 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 5174-अनुमोदित।

1.5 “1967 के अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित आतंकवादी अधिनियम का अर्थ धारा 15 में दिया गया है। यह धारा यह भी निर्धारित करती है कि “आतंकवाद” और “आतंकवादी” शब्दों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा। इसका तात्पर्य इन दोनों अभिव्यक्तियों का निर्माण उसी तरह से करना है जैसे धारा 15 में किया गया है। “धारा 2 (एम) में आतंकवादी संगठन को स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या उसी नाम के तहत काम करने वाला संगठन जो इस तरह से सूचीबद्ध संगठन है। लेकिन जहां तक “आतंकवादी” शब्द का संबंध है, इस धारा में भी इसकी व्याख्या उसी अभिव्यक्ति से संबंधित होगी जिसका उपयोग धारा 15 में किया गया है। यह सांविधिक निर्माण के मूल नियमों में से एक है कि किसी कानून के विभिन्न भागों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति सामान्य रूप से एक ही अर्थ व्यक्त करेगी—जब तक कि एक ही अधिनियम के विभिन्न भागों से विपरीत इरादा प्रकट न हो। 1967 के अधिनियम में ऐसा कोई विपरीत इरादा नहीं पाया जा सकता है। 1967 के अधिनियम की धारा 38 में शीर्षक या शीर्षक “आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध” है। एक आतंकवादी कृत्य का अर्थ उसकी धारा 15 में दिए गए अर्थ को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए। इस प्रावधान की व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। “आतंकवादी संगठन” [धारा 2 (एम) में नियोजित], केवल एक नामकरण नहीं है और यह

डी.

ई.

च

जी.

एच.

874 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

अभिव्यक्ति का अर्थ होगा एक ऐसा संगठन जो उक्त धारा **15** में परिभाषित आतंकवादी कृत्यों को जारी रखता है या उसमें शामिल होता है। उक्त अधिनियम की धारा **2 (के)** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद शब्द की व्याख्या उसकी धारा **15** में ‘आतंकवादी अधिनियम’ के अर्थ के साथ की जानी चाहिए। [पारस **32** और **33**] [907-बी-जी]

1.6 इस संदर्भ में, अपीलार्थियों को **1967** के अधिनियम की धारा **38** के दायरे में लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को उक्त संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से अपने जुड़ाव को प्रथम दृष्टया स्थापित करना चाहिए। यह तभी होता है जब आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का ऐसा इरादा प्रथम दृष्टया स्थापित हो जाता है, अपीलार्थियों को आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध के दायरे में लाया जा सकता है। **1967** के अधिनियम की धारा **38** के दायरे में लाने के लिए, यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई सहयोगी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का दावा करता है। लेकिन इस तरह के प्रावधान के तहत आरोपित व्यक्ति की ओर से इस तरह के संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा होना चाहिए। लेकिन **1967** के अधिनियम की धारा **38** में संलिप्त एक कथित अपराधी के संबंध में धारा **20** के तहत एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता के संबंध में यही तर्क लागू होना चाहिए। आतंकवादी कृत्य में शामिल होने का इरादा होने का सबूत होना चाहिए। जहाँ तक अपीलार्थियों का संबंध है, इस स्तर पर ऐसा

कोई साक्ष्य नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। न्यायालय को प्रत्येक मामले की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, यह आकलन करने से पहले कि क्या अधिनियम लागू होगा या नहीं। जब कानूनों में कड़े प्रावधान होते हैं तो न्यायालय का कर्तव्य अधिक कठिन होता है। अपराध चाहे जितना भी गंभीर हो, इस बात का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराध अधिनियम के चारों कोनों के भीतर आता है। हालाँकि ये निर्णय आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, **1987** के तहत समान कठोर प्रावधानों का परीक्षण करते हुए दिए गए थे, वही सिद्धांत **1967** के अधिनियम के संबंध में भी लागू होगा। [पारस **34** और **35**] [907-जी-एच; 908-ए-एफ]

ग

डी.

ई.

च

1.7 जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में, यह किया गया है

जी.

अभिनिर्धारित किया कि "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति का अर्थ यह होगा कि आरोप-पत्र में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री/साक्ष्य प्रबल होना चाहिए, जब तक कि अन्य ए द्वारा खारिज या अस्वीकृत नहीं किया जाता है।

एच.

875

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

साक्ष्य, और इसके सामने, सामग्री को कथित अपराधों को करने में ऐसे अभियुक्त की मिलीभगत दिखानी चाहिए। यह अनुपात इस बात पर विचार करता है कि इसके बावजूद, अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रबल होना चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय की राय में, यह प्रथम दृष्टया "परीक्षण" को तब तक संतुष्ट नहीं करेगा जब तक कि जमानत देने के प्रश्न की जांच के चरण में साक्ष्य के संभावित मूल्य का कम से कम सतह-विश्लेषण न हो और गुणवत्ता या संभावित मूल्य न्यायालय को संतुष्ट न करे। अपीलार्थियों के मामले में, जिन पत्रों के माध्यम से अपीलार्थियों को फंसाने की मांग की जाती है, उनकी सामग्री सुनी-सुनाई गवाही की प्रकृति की होती है, जो सह-अभियुक्त द्वारा बरामद की जाती है। इसके अलावा, इन पत्रों में अपीलकर्ताओं को किसी भी गुप्त या स्पष्ट आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, या इन दोनों अपीलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली कोई अन्य सामग्री नहीं दी गई है। अभियुक्त की गतिविधियों का संदर्भ वैचारिक प्रचार और भर्ती के आरोपों की प्रकृति में है। अपीलार्थियों द्वारा प्रेरित इस "संघर्ष" में कथित रूप से भर्ती किए गए या शामिल हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत हमारे सामने नहीं लाया गया है। इस प्रकार, एन. आई. ए. का यह तर्क कि अपीलकर्ताओं ने एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध को अंजाम दिया है, स्वीकार नहीं किया जाता है। सामग्री के दूसरे सेट में गवाह के बयान शामिल हैं। तीन गवाहों द्वारा अपीलार्थियों को आतंकवाद के किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। साहित्य का केवल कब्जा, भले ही इसकी सामग्री हिंसा को प्रेरित करती हो या प्रचारित करती हो, अपने आप में **1967** के अधिनियम के अध्याय **IV** और **VI** के भीतर कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। [पारस **36** और **37**] [908-एफ-एच; 909-ए-डी]

ग

डी.

ई.

च

1.8 1967 के अधिनियम की धारा **38** और **39** का पहले ही विश्लेषण किया जा चुका है। आतंकवादी संगठन की "आगे की गतिविधियों के इरादे" वाक्यांश को दी गई व्याख्या उसी कानून की धारा **39** के संबंध में भी उसी तरह से लागू हो सकती है। **1967** के अधिनियम की धारा **43 डी (5)** के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने या ऐसा करने की साजिश रचने के अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। जहाँ तक किसी आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का संबंध है,

जी.

एच.

876 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

इस चरण में, बेहतर साक्ष्य के अभाव में, लेखा विवरण **1967** के अधिनियम की धारा **40** को आकर्षित करके जमानत-प्रतिबंध खंड को लागू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है। [पारस **38** और **39**] [909-ई-एफ]

1.9 इन निष्कर्षों को वापस किया जा रहा है क्योंकि **1967** के अधिनियम के तहत जमानत के सवाल की जांच करते समय अदालत पर प्रतिबंध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, **1985** की धारा **37** के प्रावधानों की तुलना में कम सख्त हैं। इस न्यायालय से **1985** के अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित वस्तु के साथ किसी अभियुक्त को जमानत देने के लिए नहीं कहा गया है, ताकि हम इस बात से संतुष्ट हो सकें कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि कोई अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यहां, इस न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होगा कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए कथित निर्दिष्ट अपराधों को प्रथम दृष्टया सच नहीं माना जा सकता है। [पैरा **40**] [909-जी-एच; 910-ए]

ग

डी.

1.10 इन दो कार्यवाहियों में, अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन के रूप में, सजा की एक महत्वपूर्ण अवधि को पार नहीं किया है जो अंततः उनके खिलाफ लगाई गई हो सकती है यदि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप स्थापित कर सकता है। लेकिन के. ए. नजीब में निर्धारित कानून का मौलिक प्रस्ताव, कि जमानत को प्रतिबंधित करने वाला खंड परीक्षण में संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता है, यदि किसी मामले में निरंतर निरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद **21** में निहित स्वतंत्रता की अवधारणा का उल्लंघन करता है, तो ऐसे मामले में लागू होगा जहां इस तरह के जमानत-प्रतिबंध खंड को प्रथम दृष्टया कम संभावित मूल्य या गुणवत्ता वाली सामग्री के आधार पर लागू किया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** और **21** पर स्थापित अपीलार्थियों के मामले को उपरोक्त आरोपों के साथ जोड़ते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्हें हिरासत में लिए जाने के लगभग पांच साल बीत चुके हैं, अपीलार्थियों ने जमानत देने के लिए मामला बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। **1967** अधिनियम के अध्याय **IV** और **VI** के तहत अपराधों से निपटने के दौरान, इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री **1860** संहिता और **1967** अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत मामले के अंतिम परिणाम तक अपीलार्थियों की निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकती है। [पैरा **42** और **43**] [910-सी-ई, जी-एच; 911-ए-बी] ए

ई.

च

जी.

एच.

877

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

भारत संघ बनाम के. ए. नजीब **(2021) 3 एससीसी 713**; एंजेला हरीश सोनटके बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2021) 3 एस. सी. सी. 723**-पर निर्भर था।

जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल बनाम तमिलनाडु राज्य

(2005) 2 एससीसी 13:[2005] 1 एस. सी. आर. 160; राज्य बनाम जगजीत सिंह ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 253:[1962] एस. सी. आर. 622; गुरुचरण

सिंह बनाम (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली) **(1978) 1 एस. सी. सी. 118**:

[1978] 2 एस. सी. आर. 358-संदर्भित।

1.11 विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को उन मामलों (मामलों) के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाता है जिनमें से वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं, ऐसे नियमों और शर्तों पर विशेष न्यायालय उचित और उचित मान सकता है, यदि अपीलार्थी या उनमें से कोई भी किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित नहीं है। विशेष न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों की गणना की गई है। [पारस **45**] **[911-सी-डी]**

ग

रोमिला थापर और ओआरएस. वी. भारत संघ और ओआरएस।

डी.

रिट याचिका (आपराधिक) सं। 260/2018; थवाहा फसल बनाम भारत संघ 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1000; सागर

तात्याराम गोरखे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 3 एस. सी. सी. 725; अरूप भुइयां बनाम असम राज्य और एक और 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 338; हितेंद्र विष्णु

ई.

ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(1994) 4 एससीसी 602:[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर. 360; रंजन

सिंह करम सिंह पंजाबी, अधिवक्ता बनाम जितेंद्र भीमराज बिज्या और अन्य **(1990) 4 एससीसी 76**:[1990] 3 एस. सी. आर. **633**; उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन और

अन्य बनाम गुजरात राज्य (1988) 2 एस. सी. सी. 271:[1988] 3 एस. सी. आर. 225-संदर्भित।

च

निर्णीत विधि संदर्भ

(2021) 3 एस. सी. सी. 713

पर भरोसा किया

पैरा 6

(2021) 3 एस. सी. सी. 723

पर भरोसा किया

पैरा 6

जी.

(2021) 3 एस. सी. सी. 725

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2019] 5 एससीआर 1060

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर. 360 पैरा 35 [1990] 3 एस. सी. आर. 633 पैरा 35 को संदर्भित करता है।

एच.

878 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

[1988] 3 एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2005] 1 एससीआर 160

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[1962] एससीआर 622

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[1978] 2 एससीआर 358

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

आपराधिक अपील की अधिकारिता: 2023 की आपराधिक अपील सं. 639।

2021 के आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 3007 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 15.10.2019 से। सह

ग

2023 की आपराधिक अपील संख्या 640।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री रेबेका जॉन, आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता।, जवाहर राजा, चिनमय कनौजिया, अर्चित कृष्णा, एन. साई विनोद, विष्णु पी., सुश्री वर्षा शर्मा, आनंद दिलीप लैंडगे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सौरव सिंह, कानू अग्रवाल, श्रीमती स्वाति घिल्डियाल, सुश्री दीपबली दत्ता, सबरीश सुब्रमण्यम, सुश्री साइरिका एस राजू, अरविंद कुमार शर्मा, श्रीकांत सोनकवाडे, युग चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

ई.

अनिरुद्ध बोस, जे।

हमारे सामने अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर हमला किया, जिसमें जमानत के लिए उनकी प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया गया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ("1967 अधिनियम") के तहत पुणे के विशेष न्यायाधीश द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दोनों आवेदन 27 अक्टूबर 2018 को दायर किए गए थे। उच्च न्यायालय के निर्णय उसी तारीख यानी 15 अक्टूबर 2019 को दिए गए थे।

च

2. हम इस निर्णय में दोनों अपीलों पर विचार करेंगे क्योंकि अपीलार्थियों की नजरबंदी एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ. आई. आर.") के आधार पर थी और आरोप पत्र में वही धाराएं भी शामिल हैं जिनके संबंध में उनके द्वारा अपराध किए जाने का आरोप है। ये हैं भारतीय दंड संहिता, 1860 ("1860 संहिता") की धारा 34 के साथ पठित धारा 121, 121 ए, 124 ए, 153 ए, 505 (1) (बी), 117, 120 बी और 1967 के अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 18 बी, 20, 38, 39 और 40। जहाँ कहीं भी अलग-अलग अपीलार्थियों के खिलाफ साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में अलग-अलग विशेषताएं हैं, जिन पर ए द्वारा भरोसा किया गया है।

जी.

एच.

879

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

जाँच एजेंसी, हम उन्हें अलग से संदर्भित करेंगे। विषय-मामले में, शुरू में जाँच नियमित कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा की जाती थी, जो राज्य पुलिस होती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 8 के साथ पठित धारा 6 (5) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) को 24 जनवरी 2020 को पारित आदेश द्वारा मामले की जांच करने का निर्देश दिया। एन. आई. ए. पुलिस स्टेशन, मुंबई में आर. सी. No.01/2020/NIA/MUM के रूप में मामला फिर से दर्ज किया गया। हमारे सामने, एन. आई. ए. की ओर से पेश हुए जाने-माने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री नटराज ने अपीलों को चुनौती दी है।

3. अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही की उत्पत्ति एक प्राथमिकी में है, जिसमें सी. आर. No.4/2018 दिनांक 8 जनवरी 2018 को विश्रामबाग पुलिस स्टेशन, पुणे, महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। सूचना देने वाला तुषार रमेश दामगुडे है। जिस घटना ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रेरित किया, वह 31 दिसंबर 2017 को शनिवार वाड़ा, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में

थी। इस कार्यक्रम के आयोजक-एल्गार परिषद, एक सांस्कृतिक संगठन कबीर कला मंच के कार्यकर्ता थे। उक्त कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न घटनाएं हुईं, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तेजक प्रकृति की थीं और जाति समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने का प्रभाव था जिससे हिंसा और जानमाल का नुकसान हुआ, साथ ही राज्यव्यापी आंदोलन भी हुआ। आयोजन स्थल पर किताबें रखी हुई थीं, जो एफ. आई. आर. बनाने वाले के अनुसार उत्तेजक भी थीं। भीमा-कोरेगांव के पास हिंसा, आगजनी और पथराव की घटनाएं हुईं और कबीर कला मंच के छह सदस्यों और अन्य सहयोगियों को प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था। अपीलार्थी एफ. आई. आर. में शामिल नहीं थे। जांच का दायरा बाद में बढ़ाया गया, जैसा कि हम 17 अप्रैल 2018 को 2023 की आपराधिक अपील को जन्म देने वाले फैसले में पाते हैं कि पुणे पुलिस ने आठ व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी ली, अर्थात् (1) दिल्ली के रोना विल्सन, (2) नागपुर के सुरेंद्र गाडलिंग, (3) मुंबई के सुधीर धावले, (4) मुंबई की हर्षाली पोटदार, (5) पुणे के सागर गोरखे (अभियोजन पक्ष द्वारा सागर गोरखे के रूप में भी संदर्भित), (6) पुणे के दीपक ढेंगले, (7) पुणे के रमेश गाडचोर और (8) पुणे के ज्योति जगतप। शोमा सेन और महेश सीताराम राउत, जिन्हें इसी मामले में फंसाया गया है, के आवासों की तलाशी 6 जून 2018 को ली गई थी। एन. आई. ए. ने तर्क दिया है कि तलाशी के दौरान, अन्य सामग्रियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त की गई वस्तुओं को विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ("एफ. एस. एल.") भेजा गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसकी क्लोन की गई प्रतियों से आपत्तिजनक सामग्री का पता चला। याचिकाकर्ताओं के नाम

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

880

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

15 नवंबर 2018 के प्रारंभिक आरोप पत्र में भी इसका उल्लेख नहीं था, जिसमें दस व्यक्तियों को आरोपी के रूप में शामिल किया गया था। इनमें सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत और रोना विल्सन शामिल थे, जो उस समय हिरासत में थे। बाकी पांच आरोपी उस समय फरार थे। श्री नटराज द्वारा हमें सूचित किया जाता है कि फरार अभियुक्तों में से एक मिलिंद तेलतुम्बडे का निधन हो गया है।

4. अपीलार्थियों के आवासों/कार्यस्थलों पर तलाशी ली गई और उन्हें उसी दिन यानी 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें शुरू में नजरबंद कर दिया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एन. आई. ए. का मामला यह है कि सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन सहित गिरफ्तार सह-अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद विभिन्न पत्रों और अन्य सामग्रियों से अपीलकर्ताओं की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ संलिप्तता दिखाई देती है। इस संगठन को 1967 के अधिनियम की धारा 2 (एम) के संदर्भ में 22 जून 2009 को जारी एक अधिसूचना द्वारा 1967 के अधिनियम की पहली अनुसूची में एक आतंकवादी संगठन के रूप में रखा गया है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ताओं ने उक्त संगठन के कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई और अरुण फरेरा (जिन्हें हम अब से ए. एफ. के रूप में संदर्भित करेंगे), 2023 की आपराधिक अपील में अपीलकर्ता होने के नाते उस संगठन के वित्त प्रबंधन में भी भूमिका निभाई थी। तीसरे चरण में हिरासत में लिए गए अन्य आरोपी पी. वरवर राव और सुधा भारद्वाज थे। उनमें से, हमें अपीलार्थियों की विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री रेबेका जॉन, जो वर्नोन गोंजाल्विस (संक्षेप में वी. जी.) की ओर से पेश हो रही हैं, 2023 की आपराधिक अपील No.639 में अपीलार्थी हैं और श्री आर. बसंत (ए. एफ. का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा अवगत कराया जाता है कि, पी. वरवर राव को 10 अगस्त 2022 को पारित इस अदालत के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सुधा भारद्वाज 1

सितंबर 2021 को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई "डिफॉल्ट जमानत" पर हैं। उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 7 दिसंबर 2021 को खारिज कर दिया था। इस अदालत के समक्ष उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गौतम नवलखा नजरबंद हैं। राज्य पुलिस द्वारा 21 फरवरी 2019 को एक अन्य पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थियों के साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को 1967 के अधिनियम और 1860 की संहिता के तहत उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपित किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को एन. आई. ए. ने अन्य बातों के साथ-साथ डॉ. आनंद तेलतुम्बडे, गौतम नवलखा, हैनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गाडचोर, ज्योति जगतप, स्टेन स्वामी (मृत होने के बाद से) और मिलिंद तेलतुम्बडे (मृत होने के बाद से) के खिलाफ ए. के समान प्रावधानों के तहत एक और पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

881

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

1860 संहिता और 1967 का अधिनियम। मृतक मिलिंद तेलतुम्बडे को छोड़कर, इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से डॉ. आनंद तेलतुम्बडे को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इस आशय का फैसला 18 नवंबर 2022 को दिया गया था। उस निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 25 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया है। वीजी, जो उनकी दलीलों से स्पष्ट होता है, एक लेखक, स्तंभकार हैं और मानवाधिकारों, जेल अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। ए. एफ. ने खुद को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में पेश किया है और साथ ही एक कार्टूनिस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी बताया है।

5. अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के बाद, एक रिट याचिका दायर की गई थी

ग

यह न्यायालय [रिट याचिका (आपराधिक) सं. 260/2018-रोमिला थापर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।] इन प्रार्थनाओं में से एक

याचिका भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई के निर्देश के लिए थी। जब तक इस अदालत द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच और निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश भी मांगा गया था। उस रिट याचिका को 28 सितंबर 2018 (2:1 के बहुमत से) खारिज कर दिया गया था। बहुमत का विचार था कि यह गिरफ्तारी का मामला केवल नामित अभियुक्तों के असहमतिपूर्ण विचारों या राजनीतिक विचारधारा में मतभेद की अभिव्यक्ति के कारण नहीं था, बल्कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के साथ उनके संबंधों के बारे में था। उस स्तर पर, न्यायालय अपने समक्ष लाई गई सामग्री का मूल्यांकन करने की कवायद में नहीं गया। हालाँकि, यह निष्कर्ष या अवलोकन अभियोजन पक्ष को जमानत के लिए नियमित आवेदन में सहायता नहीं कर सकता है, जिनके संबंध में हम निर्णय ले रहे हैं। जमानत के लिए अपीलार्थियों की विशिष्ट याचिका पर निर्णय लेने वाले न्यायालय को स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाने और व्यक्तिगत आवेदकों को जमानत देने के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए उसके सामने रखी गई सामग्री की जांच करने की आवश्यकता होती है। 6. चूंकि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों में 1967 के अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करना शामिल है, जिसमें उसके अध्याय IV और VI के भीतर आने वाले अपराध भी शामिल हैं, इसलिए उक्त अधिनियम की

धारा 43 डी (5) में निहित जमानत देने पर प्रतिबंध उनके मामलों में लागू होगा। हम तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के अनुपात का भी उल्लेख करेंगे।

डी.

ई.

च

भारत संघ के मामले में इस न्यायालय का-बनाम-के. ए. नजीब [(2021) 3

जी.

एस. सी. सी. 713] उपरोक्त प्रावधान की पृष्ठभूमि में अपीलार्थियों के मामलों की जांच करते हुए। इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे वैधानिक प्रतिबंध, अपने आप में, भारत के संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त नहीं करते हैं और यह संवैधानिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

एच.

882

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अर्थात्, यह न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसे प्रावधानों की कठोरता में ढील देने के लिए, जहां उचित समय के भीतर मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और किसी बंदी की कारावास की अवधि पहले ही बीत चुकी है, उन अपराधों के लिए निर्धारित सजा के एक बड़े हिस्से को शामिल करता है जिनके साथ बाद वाले पर आरोप लगाया गया है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस अनुपात पर भरोसा किया है। इस पर उद्धृत अन्य अधिकारियों ने

मुद्दा यह है कि थवाहा फसल-बनाम-भारत संघ [2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1000] और एंजेला हरीश सोनटके-बनाम-महाराष्ट्र राज्य [(2021)

3 एस. सी. सी. 723] जमानत देने के पहलू पर कानून के सामान्य प्रस्ताव पर

मुकदमे में देरी के कारण, सागर तात्याराम गोरखे और एक अन्य का मामला

-बनाम-महाराष्ट्र राज्य [(2021) 3 एस. सी. सी. 725] पर भरोसा किया गया है। सुनवाई के दौरान, हमें अपीलार्थियों के वकील द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

ग

7. हमने डॉ. आनंद तेलतुम्बडे के मामले का उल्लेख किया है, जिन्हें 23 अगस्त 2018 को इसी मामले के संबंध में एक आरोपी के रूप में जोड़ा गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसका नाम जांच के विस्तारित चरण में पुलिस द्वारा जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और अन्य वस्तुओं से सामने आया था। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे ने 14 अप्रैल 2020 को गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी याचिका खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

डी.

8. हमारे सामने इस सवाल पर तर्क दिए गए हैं कि क्या केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता एक अपराध है या नहीं। अपीलार्थियों की ओर से निर्भरता को इस प्रचलित दृष्टिकोण पर रखा गया था कि यह 1967 के अधिनियम या आतंकवादी और

विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (जिसके कानून में भी इसी तरह के प्रावधान हैं) के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि इसके साथ कोई स्पष्ट रूप से अपमानजनक अधिनियम न हो। तीन न्यायाधीशों की पीठ

ई.

च

अरुण भुयान बनाम असम राज्य के मामले में इस न्यायालय का और

एक अन्य [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 338] ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किए जाने के बाद भी, उसका सदस्य बना रहता है, तो 1967 के अधिनियम की धारा 10 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

जी.

9. धारा 13 को छोड़कर, वे सभी अपराध जिनके लिए अपीलार्थियों पर 1967 के अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, उक्त कानून के अध्याय IV और VI के भीतर आते हैं। यह 1860 की संहिता के तहत अपराधों से अलग है। इसलिए, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह केस डायरी के अवलोकन या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("1973 संहिता") की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट पर एक राय तैयार करे कि ए के उचित आधार हैं।

एच.

883

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

यह विश्वास करने के लिए कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करते समय प्रथम दृष्टया सच हैं, अपीलार्थियों की जमानत के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए। जिस तरीके से न्यायालय इस तरह की राय बनाएगा, वह इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जांच के मामले में निर्धारित किया गया है।

एजेंसी-बनाम-जहूर अहमद शाह वटाली [(2019) 5 एससीसी 1]। इसमें है।

इस फैसले में कहा गया है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"23. उप-धारा (5) के परन्तुक के आधार पर, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य या अन्यथा है। हमारा ध्यान इस न्यायालय के फैसलों की ओर आकर्षित किया गया था, जिसे टाडा और एम. सी. ओ. सी. ए. में इसी तरह के विशेष प्रावधानों से निपटने का अवसर मिला है। 1967 के अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय उन निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांत का कुछ असर हो सकता है। विशेष रूप से, टाडा, एम. सी. ओ. सी. ए. और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 जैसे विशेष अधिनियमों के तहत, अदालत को अपनी राय दर्ज करने की आवश्यकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी कथित अपराध का "दोषी नहीं है"। न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि के बीच कुछ हद तक अंतर है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का "दोषी नहीं है" और 1967 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप "प्रथम दृष्टया" सत्य है। अपनी प्रकृति से, "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति का अर्थ यह होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य, तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता है और उन पर काबू नहीं पाया जाता है या उन्हें गलत साबित नहीं किया जाता है, और इसके बावजूद, उक्त अपराध को करने में ऐसे अभियुक्त की संलिप्तता दिखाई देती है। यह किसी दिए गए तथ्य या कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या खंडन न किया जाए। एक अर्थ में, संतुष्टि की मात्रा तब कम होती है जब

न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप "प्रथम दृष्टया सच" है, जबकि अभियुक्त की राय अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक ऐसे अपराध के लिए "दोषी नहीं" है। किसी भी मामले में, की डिग्री

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

884 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त करने के लिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, 1967 के अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आरोप तय करने या आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री से कम संतोष दर्ज किया जाना चाहिए। फिर भी, हम रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2005) 5 एस. सी. सी. 295 में दिए गए विवरण से मार्गदर्शन ले सकते हैं: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1057], जिसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को जमानत देने की न्यायालय की शक्ति के दायरे पर विचार करने के लिए कहा गया था। पैरा 36 से 38 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एस. सी. सी. पीपी. 316-17)

ग

“36. क्या इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले अदालत को, यद्यपि प्रथम दृष्टया, इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है? क्या अदालत के लिए इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करना आवश्यक है? क्या अदालत के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध होगा कि एक बार जब आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, तो वह कोई भी अपराध नहीं करेगा?

डी.

37. इस तरह के निष्कर्षों को केवल जमानत देने के लिए और बिना किसी अन्य उद्देश्य के रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से दर्ज किया जाना आवश्यक है।

ई.

38. इसके अलावा हमारी राय है कि जमानत देने की अदालत की शक्ति पर प्रतिबंधों को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यदि अदालत, अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, संतुष्ट है कि सभी संभावनाओं में वह अंततः दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो जमानत देने का आदेश पारित किया जा सकता है। जमानत पर रहते हुए अपराध न करने की उसकी संभावना के संबंध में अदालत की संतुष्टि का अर्थ अधिनियम के तहत अपराध के रूप में माना जाना चाहिए न कि कोई अपराध, चाहे वह कोई भी छोटा या बड़ा अपराध हो।... अदालत की ओर से आगे जो आवश्यक होगा वह यह है कि आरोपी की दोषीता और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संगठित अपराध में उसकी संलिप्तता को देखा जाए। अदालत जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय प्रश्न ए पर विचार करेगी।

च

जी.

एच.

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

इस दृष्टिकोण से कि क्या उसके पास आवश्यक पुरुष अधिकार थे।"

और फिर से पैरा 44 से 48 में न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पीपी. 318-20)

"44. हमारी राय में, धारा 21 (4) के शब्दों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अदालत को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जमानत के लिए आवेदक ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। यदि ऐसा निर्माण किया जाता है, तो जमानत देने का इरादा रखने वाली अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आवेदक ने ऐसा अपराध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के लिए आवेदक को दोषी ठहराने का निर्णय प्राप्त करना असंभव होगा। विधायिका की मंशा ऐसी नहीं हो सकती। इसलिए, एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 21 (4) का यथोचित अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि अदालत बरी करने और दोषसिद्धि के फैसले और मुकदमा शुरू होने से बहुत पहले जमानत देने के आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो। इसी तरह, अदालत को जमानत देने के बाद उसके अपराध करने की संभावना के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा। हालांकि, भविष्य में ऐसा अपराध अधिनियम के तहत अपराध होना चाहिए न कि कोई अन्य अपराध। चूंकि किसी अभियुक्त के भविष्य के आचरण की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, इसलिए अदालत को अभियुक्त के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्तियों और उस प्रकृति और तरीके को ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू पर विचार करना चाहिए जिसमें उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

ग

डी.

ई.

45. इसके अलावा, यह मामूली बात है कि जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, हालांकि विस्तृत कारण निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, जमानत देने के आदेश को कम से कम गंभीर मामलों में दिमाग के आवेदन को प्रदर्शित करना चाहिए कि आवेदक को जमानत के विशेषाधिकार को क्यों दिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है।

च

जी.

46. इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना नहीं है, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना है। तथापि, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एम. सी. ओ. सी. ए. जैसे विशेष कानून पर विचार करते समय,

एच.

886 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

अदालत को मामले की गहराई से जांच करनी पड़ सकती है ताकि वह इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री दोषसिद्धि के फैसले को उचित नहीं ठहरा सकती है। जमानत देते या अस्वीकार करते समय अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निस्संदेह अस्थायी प्रकृति के होंगे, जिनका मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है और इस प्रकार, निचली अदालत किसी भी तरह से पूर्वाग्रह के बिना मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगी। 47. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन [(2004) 7 एस. सी. सी. 528:2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1977] इस न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पीपी. 537-38, पैरा 18)

ग

‘18. हम इस बात से सहमत हैं कि दोनों पक्षों द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं के संबंध में एक निर्णायक निष्कर्ष अदालत से जमानत याचिका पर विचार करने की उम्मीद नहीं है। फिर भी किसी को यह नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने पूरन बनाम रामबिलास [(2001) 6 एस. सी. सी. 338 में कहा है: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1124]: (एस. सी. सी. पी. 344, पैरा 8) "8. कारण देना गुण या दोष पर चर्चा करने से अलग है। जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले के गुण-दोष का विस्तृत प्रलेखन नहीं किया जाना है।... इसका मतलब यह नहीं था कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही थी, कुछ कारणों का संकेत देने की आवश्यकता नहीं थी।"

डी.

ई.

हम इस न्यायालय के उपरोक्त कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया कारणों की ऐसी अभिव्यक्ति उन मामलों में कानून की आवश्यकता है जहां जमानत आवेदन पर ऐसे आदेश अपील योग्य हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि अपीलीय अदालत को जमानत देने के आधार को जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए, हम अभियुक्त के विद्वत वकील द्वारा संबोधित इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उच्च न्यायालय से जमानत देते समय उसके समक्ष आग्रह किए गए सभी बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष का संकेत देने की भी अपेक्षा नहीं की गई थी, विशेष रूप से इस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में जहां तथ्यों पर यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद जिन गवाहों से पूछताछ की गई थी, वे बड़ी संख्या में मुकर गए थे और ए द्वारा दी गई धमकियों के बारे में अदालत में शिकायतें की गई थीं।

च

जी.

एच.

887

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

प्रतिवादी या उसके समर्थक मामले में गवाहों को। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना दिमाग लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध थी और इन आरोपों के संबंध में कम से कम प्रथम दृष्टया निष्कर्ष देना चाहिए था क्योंकि वे जमानत लेने के आरोपी के अधिकार की जड़ तक जाते हैं। प्रतिवादी द्वारा जमानत पर रहने की अवधि के दौरान गवाहों को दी गई धमकी या प्रलोभन के आरोपों के रूप में इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार न करने से उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जमानत देते समय निकाले गए निष्कर्षों को दूषित कर दिया है। कारावास के आधार के अलावा दूसरा आधार, जिसने उच्च न्यायालय से जमानत देने की अपील की थी, वह यह था कि बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मामले के तथ्यों पर यह आधार भी प्रतिवादी के खिलाफ गवाहों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के कारण प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या कारावास की अवधि के साथ पर्याप्त नहीं है।’

ग

डी.

48. जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल बनाम टी. एन. राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 13: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 481] इस न्यायालय ने कहा [(एस. सी. सी. पीपी. 21-22, पैरा 16)]

ई.

‘16.... गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने में आम तौर पर अदालत के साथ विचार करने वाले विचारों को इस अदालत द्वारा राज्य बनाम जगजीत सिंह [(1962) 3 एस. सी. आर. 622 में समझाया गया है:ए. आई. आर 1962 एस. सी. 253: (1962) 1 श्री एल. जे. 215] और गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश) [(1978) 1 एस. सी. सी. 118:1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 41] और मूल रूप से वे हैं-अपराध की प्रकृति और गंभीरता; साक्ष्य का चरित्र; ऐसी परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने की उचित संभावना; गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; जनता या राज्य का व्यापक हित और अन्य समान कारक जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक हो सकते हैं।’”

च

जी.

10. हम सबसे पहले अपीलार्थियों के इस तर्क पर विचार करेंगे कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप उन धाराओं के अंतर्गत आते हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं।

एच.

888

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI से न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि नहीं मिल सकती है कि ऐसे आरोप सही हैं और इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य इन प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के तत्वों के अनुरूप नहीं हैं। जमानत-प्रतिबंध खंड को लागू करने के आरोपों की प्रकृति पूरक आरोप पत्र में बताई गई है जिसमें अपीलार्थियों को फंसाया गया था। जवाबी-हलफनामों में कई पत्रों और दस्तावेजों के प्रिंटआउट/प्रतियां भी होती हैं। वी. जी. के मामले में, एजेंसी ने एक संरक्षित गवाह के बयान पर भरोसा किया है जिसने खुलासा किया है कि वह वर्ष 2002 में वी. जी. से मिला था। 2002 और 2007 के बीच की अवधि का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा है कि उस अवधि के दौरान, वीजी और एएफ दोनों उक्त पार्टी की महाराष्ट्र राज्य समिति के सदस्य थे। संरक्षित गवाह द्वारा यह भी कहा गया है कि 2002 में वी. जी. पार्टी से इस्तीफा देना चाहते थे लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था।

ग

11. इस कवायद को शुरू करने से पहले, हम 1967 के अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों को नीचे प्रस्तुत करते हैं, जिनके अनुप्रयोग की हमें अपीलार्थियों के संबंध में जांच करनी होगी:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“2. परिभाषाएँ।- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(के) "आतंकवादी कार्य" का अर्थ धारा 15 में दिया गया है और "आतंकवाद" और "आतंकवादी" अभिव्यक्तियों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा;

ई.

"आतंकवादी संगठन" से [पहली अनुसूची] में सूचीबद्ध संगठन या उसी नाम के तहत काम करने वाला संगठन अभिप्रेत है जो इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन है;

च

13. गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा।—(1) जो भी हो -

((क) इसमें भाग लेता है या प्रतिबद्ध होता है, या

(ख) किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए अधिवक्ता, प्रोत्साहन, सलाह या उकसाना, सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

जी.

(2) जो कोई भी, किसी भी तरह से, धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित किसी भी संघ की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में सहायता करता है, उस अधिसूचना के बाद जिसके द्वारा इसे इस तरह घोषित किया गया है, वह ए बन गया है।

एच.

889

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी, कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा की कोई बात भारत सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच की गई किसी संधि, समझौते या समझौते पर या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की गई किसी बातचीत पर लागू नहीं होगी।

15. आतंकवादी कृत्य।— (1) जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या खतरे में डालने के इरादे से या आतंक फैलाने के इरादे से या भारत में या किसी भी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के साथ कोई भी कार्य करता है, -

ग

(क) बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक हथियारों या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों का उपयोग करके या खतरनाक प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा) द्वारा या किसी भी प्रकृति के किसी भी अन्य माध्यम से -

डी.

((i) किसी व्यक्ति या व्यक्ति की मृत्यु या चोटें; या (ii) संपत्ति का नुकसान या क्षति या विनाश; या (iii) भारत या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान; या

ई.

च

((ख) उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्का या किसी अन्य सामग्री के उत्पादन या तस्करी या संचलन के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान; या

((iv) भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग करने का इरादा रखने वाली किसी संपत्ति को नुकसान या विनाश; या

जी.

एच.

((ख) आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल के प्रदर्शन या ऐसा करने का प्रयास या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनता है या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनता है; या

(ग) किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है या अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या [किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से दूर रहने के लिए मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है; या] कोई आतंकवादी कार्य करता है।[स्पष्टीकरण]—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, (ए) "लोक पदाधिकारी" का अर्थ है संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी; (बी) "उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा" का अर्थ है नकली मुद्रा जो किसी अधिकृत या अधिसूचित फॉरेंसिक प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद घोषित की जा सकती है कि ऐसी मुद्रा तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं का अनुकरण या समझौता करती है।

ग

डी.

(2) आतंकवादी अधिनियम में एक ऐसा कार्य शामिल है जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में और जैसा कि परिभाषित किया गया है, एक अपराध है।

ई.

16. आतंकवादी कृत्य के लिए सजा।—(1) जो कोई भी ए करता है

आतंकवादी कार्य-(क) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

च

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगी।

जी.

17. आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने के लिए सजा।—जो भी हो,

भारत में या किसी विदेशी देश में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से धन जुटाता है या प्रदान करता है या धन एकत्र करता है, चाहे वह वैध या अवैध स्रोत से हो।

एच.

891

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

किसी व्यक्ति या व्यक्ति को यह जानते हुए कि ऐसे धन का पूर्ण या आंशिक रूप से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी आतंकवादी संगठन द्वारा या किसी आतंकवादी गिरोह द्वारा या किसी व्यक्तिगत आतंकवादी द्वारा आतंकवादी कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है, प्रदान करना या धन जुटाना या एकत्र करना, भले ही ऐसे धन का उपयोग वास्तव में ऐसा

कार्य करने के लिए किया गया था या नहीं, एक ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(क) उसमें वर्णित किसी भी कार्य में भाग लेना, संगठित करना या निर्देश देना अपराध होगा।

ग

(ख) धन जुटाने में उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या संचलन के माध्यम से धन जुटाना या एकत्र करना या प्रदान करना शामिल होगा; और (ग) किसी व्यक्तिगत आतंकवादी, आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन के लाभ के लिए किसी भी तरह से धन जुटाना या एकत्र करना या प्रदान करना, उस उद्देश्य के लिए जो धारा 15 के तहत विशेष रूप से शामिल नहीं है, उसे भी अपराध के रूप में माना जाएगा।

डी.

18. षड्यंत्र आदि के लिए सजा।—जो कोई साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है, या वकालत करता है, उकसाता है, सलाह देता है या उकसाता है, निर्देश देता है या जानबूझकर आतंकवादी कार्य या आतंकवादी कार्य करने की तैयारी करने वाले किसी भी कार्य को करने में सहायता करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ई.

च

18A. आतंकवादी शिविरों के आयोजन के लिए सजा।—जो भी हो।

आतंकवाद में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी भी शिविर या शिविर का आयोजन या आयोजन करने के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

जी.

18 बी. आतंकवादी कृत्य के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती के लिए सजा।—जो कोई भी आतंकवादी कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती करता है या भर्ती कराता है,

एच.

892 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

कारावास से दंडनीय जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

20. आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने के लिए सजा या

संगठन।—कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

38. एक आतंकवादी के मेम बर्शिप से संबंधित अपराध

संगठन।—(1) एक व्यक्ति, जो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से एक आतंकवादी संगठन के साथ खुद को जोड़ता है, या जुड़ने का दावा करता है, एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है:

ग

बशर्ते कि यह उप-धारा वहां लागू नहीं होगी जहां आरोपित व्यक्ति साबित करने में सक्षम है -

डी.

(क) कि संगठन को उस समय आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया था जब वह सदस्य बना था या सदस्य होने का दावा करने लगा था; और

(ख) कि उसने आतंकवादी संगठन के रूप में पहली अनुसूची में शामिल होने के दौरान किसी भी समय संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है।

ई.

(2) एक व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के तहत एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है, उसे दस साल से अधिक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

च

39. आतंकवादी को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध

संगठन।—(1) एक व्यक्ति एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध करता है, -

(क) जो किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से -

जी.

(i) आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन आमंत्रित करता है, और

((ii) सहायता धारा 40 के अर्थ के भीतर धन या अन्य संपत्ति प्रदान करने तक सीमित नहीं है या नहीं है; या

एच.

893

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

(ख) जो किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से, एक बैठक की व्यवस्था या प्रबंधन में सहायता करता है जिसे वह जानता है -

((i) आतंकवादी संगठन का समर्थन करना, या

((ii) आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, या (iii) आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा संबोधित किया जाना; या

(ग) जो किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से आतंकवादी संगठन के समर्थन को प्रोत्साहित करने या उसकी गतिविधि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक बैठक को संबोधित करता है।

ग

(2) एक व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के तहत एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध करता है, वह दस साल से अधिक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

डी.

40. आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का अपराध।—(1)

एक व्यक्ति एक आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का अपराध करता है, जो एक आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से, -

(क) किसी अन्य व्यक्ति को धन या अन्य संपत्ति प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है, और इरादा रखता है कि इसका उपयोग किया जाना चाहिए, या संदेह करने का उचित कारण है कि इसका उपयोग आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; या

ई.

(ख) धन या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है, और इरादा रखता है कि इसका उपयोग किया जाना चाहिए, या संदेह करने का उचित कारण है कि इसका उपयोग आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; या

च

(ग) धन या अन्य संपत्ति प्रदान करता है, और जानता है, या संदेह करने का उचित कारण है, कि इसका उपयोग आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा या किया जा सकता है।

जी.

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, धन या अन्य संपत्ति प्रदान करने के लिए एक संदर्भ में शामिल है—(ए) इसे दिया जाना, उधार दिया जाना या अन्यथा उपलब्ध कराया जाना, चाहे वह विचार के लिए हो या नहीं; या

एच.

894 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

(बी) उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या संचलन के माध्यम से धन जुटाना, एकत्र करना या प्रदान करना।

(2) एक व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के तहत एक आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का अपराध करता है, उसे चौदह साल से अधिक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

43 डी. संहिता के कुछ प्रावधानों के संशोधित अनुप्रयोग।—

(1) संहिता या किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध को संहिता की धारा 2 के खंड (सी) के अर्थ के भीतर एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा, और उस खंड में परिभाषित "संज्ञेय मामले" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। (2) संहिता की धारा 167 इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामले के संबंध में इस संशोधन के अधीन लागू होगी कि उप-धारा (2) में -

ग

डी.

(क) "पंद्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" के संदर्भ, जहाँ भी वे होते हैं, उन्हें क्रमशः "तीस दिन", "नब्बे दिन" और "नब्बे दिन" के संदर्भ के रूप में माना जाएगा; और

ई.

(ख) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“बशर्ते कि यदि नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो न्यायालय यदि लोक अभियोजक की जांच की प्रगति और अभियुक्त को नब्बे दिनों की उक्त अवधि से आगे हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देने वाली रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाता है, तो उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ा सकता है:

च

बशर्ते कि यह भी कि यदि इस अधिनियम के तहत जांच करने वाला पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति की न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत के लिए अनुरोध करता है, तो वह ऐसा करने के कारणों को बताते हुए एक हलफनामा दायर करेगा और ऐसी पुलिस हिरासत का अनुरोध करने में देरी, यदि कोई हो, के बारे में भी बताएगा।

जी.

एच.

895

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

क.

(3) संहिता की धारा 268 इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामले के संबंध में इस संशोधन के अधीन लागू होगी कि -

(क) उसकी उप-धारा (1) में निर्देश

((i) "राज्य सरकार" को "केंद्र सरकार या राज्य सरकार" के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।"; ((ख) "राज्य सरकार के आदेश" को "केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश, जैसा भी मामला हो" के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा; और

(ख) उसकी उप-धारा (2) में 'राज्य सरकार' को दिए गए निर्देश का अर्थ, "यथास्थिति, केंद्र सरकार या राज्य सरकार" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।(4) संहिता की धारा 438 में कुछ भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा। (5) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है: बशर्ते कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय, केस डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट के अवलोकन पर यह राय रखता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है।

ग

डी.

ई.

च

(6) उप-धारा (5) में निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध संहिता या किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंधों के अलावा है जो जमानत देने पर अभी लागू हैं।

(7) उप-धारा (5) और (6) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को कोई जमानत नहीं दी जाएगी, यदि वह भारतीय नागरिक नहीं है और बहुत ही असाधारण परिस्थितियों और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को छोड़कर अनधिकृत रूप से या अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है।"

जी.

एच.

896

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

12. इन दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप, अन्य बातों के साथ-साथ, पहले पूरक आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.5, 17.9, 17.10, 17.11, 17.15, 17.18 और 17.19 से दिखाई देते हैं। 21 फरवरी 2019 के आरोप पत्र के ये पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" 17.5 इस अपराध की जाँच के दौरान यह सामने आया कि इसमें अभियुक्तों की गतिविधि केवल दो धाराओं के बीच वैमनस्य पैदा करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे देश के खिलाफ अन्य विनाशकारी कृत्य भी कर रहे थे। आरोपी सुधीर धावले, रोणा विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत और शोमा सेन ने प्रतिबंधित संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) द्वारा और उसकी ओर से एक पूर्व नियोजित साजिश के अनुसार गैरकानूनी और आतंकवादी कृत्य किए थे। यह भी सामने आया है कि वर्तमान अपराध भी इस साजिश का एक हिस्सा है।

ग

डी.

चूंकि आरोपी नंबर 1 वरवरा राव, नंबर 2 वर्नोन गोंजाल्विस, नंबर 3 अरुण फरेरा, नंबर 4 सुधा भारद्वाज और अन्य अभियुक्तों की प्रतिबंधित संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) की उक्त साजिश में भागीदारी स्पष्ट हो गई थी, इसलिए उनके आवासों और उन स्थानों की तलाशी ली गई जहां से संभवतः सबूत प्राप्त किए जा सकते थे।

ई.

17.9 यह सामने आया है कि आरोपी नंबर 2 वर्नोन गोंजाल्विस नंबर 3 अरुण फरेरा और नंबर 4 सुधा भारद्वाज ने अन्य अभियुक्तों के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए सदस्यों की भर्ती की है। वे उक्त प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य भी हैं और संगठन की विचारधारा के साथ फ्रंटल संगठन के माध्यम से प्रचार और प्रसार करके प्रतिबंधित संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया है।

च

17.10 अभियुक्त नंबर 2 वर्नोन गोंजाल्विस को माननीय सत्र न्यायालय, नागपुर द्वारा ए. टी. एस. काला चौकी पुलिस स्टेशन, मुंबई के आई. पी. सी. के तहत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 25 (1-बी) शस्त्र अधिनियम, 6, 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम, 4 (बी), 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 120-बी, 121-ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। तदनुसार उन्होंने सजा काट ली है। अभियुक्त वर्नोन ए

जी.

एच.

897

प्रतिबंधित संगठन के सदस्य के रूप में गोंजाल्विस की गैरकानूनी गतिविधियाँ लगातार चल रही हैं।

17.11 उक्त अपराध की जाँच के दौरान यह सामने आया है कि I.A.P.L (इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर्स) प्रतिबंधित संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) का एक अग्रणी संगठन है और संगठन के निर्देश और आदेशों के अनुसार और प्रतिबंधित संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आर्थिक समर्थन के साथ काम कर रहा है। अभियुक्त नं.3 अरुण फरेरा, नंबर 4 सुधा भारद्वाज और सुरेंद्र गाडलिंग उक्त फ्रंटल संगठन के सदस्य हैं। उन्होंने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर इस अग्रणी संगठन को फैलाने के लिए सचेत प्रयास किए हैं। इस अग्रणी संगठन के माध्यम से विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों को करके उन्होंने देश की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है।

ग

17.15. इस प्रकार एन. ओ. एस. पर आरोप लगाया। 1 से 4 और अन्य आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) के सदस्य हैं। इस संगठन से संबंधित सभी कार्य इन अभियुक्तों द्वारा भूमिगत तरीके से किए जाते हैं। यह प्राप्त साक्ष्यों से सामने आया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने वाले फ्रंटल संगठन, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर्स (I.A.P.L), अनुराधा गांधी मेमोरियल कमेटी (A.G.M.C), कबीर कला मंच, उत्पीड़ित कैदी एकजुटता समिति (P.P.S.C) की स्थापना की जाती है या इसी तरह के संगठनों में व्यवस्थित तरीके से घुसपैठ की जाती है और उनकी आड़ में आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) से संबंधित काम एक बेहद गुप्त तरीके से किया जा रहा है।

डी.

ई.

च

17.18. जाँच के दौरान यह सामने आया है कि इस अपराध में आरोपी No.01 से 04 तक और अन्य अभियुक्तों ने प्रतिबंधित संगठन सी. पी. आई. द्वारा तैयार की गई पूर्व नियोजित साजिश के हिस्से के रूप में काम किया है। (माओवादी), देश के संविधान के तहत स्थापित लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रणाली को हिंसा के बल से उखाड़ फेंकने की एक बड़ी, देशव्यापी साजिश और साजिश। यह सामने आया कि संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) और इस अपराध में संगठन के सदस्यों ने इस अपराध की साजिश रची है।

जी.

एच.

898 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

17.19. अभियुक्त नं.1 उक्त अपराध में वरवर राव, अभियुक्त रोणा विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग ने पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) के अन्य भूमिगत सदस्यों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और आरोपी नं.02 वरनॉन गोंजाल्विस ने नहीं का आरोप लगाया। 3 अरुण फरेरा और अभियुक्त नं.04 सुधा भारद्वाज उक्त साजिश में शामिल हुईं और उन्हें प्रतिबंधित सी. पी. आई. के सक्रिय सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए कहा। गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने, संदेशों के आदान-प्रदान के लिए, उक्त गैरकानूनी संगठन के लक्ष्यों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उनके साथ बैठकों की योजना बनाने और बुलाने के साथ-साथ उनकी गैरकानूनी गतिविधियों में मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित (माओवादी) संगठन। इसी तरह यह सामने आया है कि हार्ड डिस्क, पेंड्रिव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल आदि आरोपी नं.1 वरवर राव, सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन के पास प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन से संबंधित पत्राचार, कागजात, तस्वीरें आदि थे और यह भी कि उन्होंने उक्त संगठन के लक्ष्यों, नीतियों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किया। यह भी सामने आया कि उन्होंने शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित संगठन की ओर से

स्थापित फ्रंटल संगठनों के माध्यम से लोकतांत्रिक और वैध प्रशासनिक प्रणाली को उखाड़ फेंकने के लिए देश के खिलाफ विभिन्न तरीकों से कार्य करने का प्रयास किया।"

ग

डी.

ई.

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

13. पहले बयान में, संरक्षित गवाह, जो माओवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वर्ष 2002 में वी. जी. से मिलने का दावा करता है जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं। उन्होंने 2002 से 2007 के बीच एक समयरेखा की बात की है। उनके अनुसार, उस समय वीजी और एएफ महाराष्ट्र राज्य समिति के सदस्य थे, संभवतः भाकपा (माओवादी) संगठन के। यह बयान 27 जनवरी 2019 को पुणे पुलिस के एक सहायक आयुक्त द्वारा दर्ज किया गया था। संरक्षित गवाह ने 27 जुलाई 2020 को पुलिस के समक्ष एक और बयान दिया है जिसमें उसने वर्ष 2012 में हैदराबाद में रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक सेमिनार में ए. एफ. और सितंबर 2017 में "विरसम" नामक एक संगठन द्वारा वी. जी. की भागीदारी का उल्लेख किया है। ए के तहत दर्ज मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान में भी इन्हें व्यापक रूप से दोहराया गया था।

च

जी.

एच.

899

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

28 जुलाई 2020 को 1973 की संहिता की धारा 164। अभियोजन पक्ष ने कुमारसाई द्वारा दिए गए बयानों पर भी भरोसा किया है, जो उसी संगठन से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह के बयान 2 नवंबर 2018 और 23 दिसंबर 2018 को दिए गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वी. जी. को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके अनुसार, वी. जी. बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। एएफ के बारे में, उसने कथित तौर पर कहा था कि वह छात्र संगठनों में "घुसपैठ" कर रहा था और कैडर बना रहा था, जिन्हें जंगलों में भेजा जा रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे 2003-2007 चरण में एएफ से मिले थे। तीसरा गवाह, जिसके बयानों पर अभियोजन एजेंसी ने भी भरोसा किया है, वह सुदर्शन सत्यदेव रामटेके हैं। उन्होंने अपने बयान में एक अन्य अरुण (अरुण भेलके) का उल्लेख किया है, जिनसे वे चंद्रपुर में एक संगठन के लिए काम करते हुए मिले थे। उन्होंने अपने बयान में खुद को पार्टी के सहयोगी के रूप में भी घोषित किया, और दावा किया कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एएफ से मिलवाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि ए. एफ., मिलिंद तेलतुम्बडे और अनिल नागपुरे ने उन्हें उक्त संगठन के साथ काम करने के लिए कहा था।

ग

14. वी. जी. को पहले 1967 के अधिनियम, शस्त्र अधिनियम 1959 और विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कथित अपराधों के लिए 19 मामलों में फंसाया गया है। लेकिन उनकी ओर से हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें इन 19 मामलों में से 17 में बरी कर दिया गया है। एक अन्य मामले के संबंध में, उनका आरोपमुक्त करने का आवेदन लंबित है। सत्र न्यायाधीश, नागपुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 (1 बी), 1967 अधिनियम की धारा 10 (ए) (आई) और 13 (1) (बी) के तहत मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 (बी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 (बी) और 5 और 1967 के अधिनियम की धारा 10 (ए) (ii) (iii) (iv), 10 (बी), 16, 17, 18, 20 और 23 और 1860 की संहिता की धारा 120 बी और 121 ए के तहत भी आरोप थे। वी. जी.

के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी दोषसिद्धि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के तहत है, और जिन अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, वे 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI में शामिल अपराधों में नहीं आते हैं। दूसरा मामला सूरत में सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित सत्र मामला No.261/10 है। 15. अभियोजन पक्ष ने कुछ पत्रों का उल्लेख किया है जो कथित रूप से सह-अभियुक्त व्यक्तियों के कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से बरामद किए गए हैं जिनमें दोनों अपीलार्थियों की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। हम इस निर्णय के बाद के पैराग्राफ में इन संचारों पर चर्चा करेंगे। जमानत के लिए याचिका में सामान्य परिस्थितियों में, हमें यह बताना चाहिए कि साक्ष्य के विश्लेषण का यह अभ्यास आवश्यक नहीं होता। लेकिन धारा 43 डी के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को देखते हुए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

900

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

1967 के अधिनियम के अनुसार, साक्ष्य-विश्लेषण का कुछ तत्व अपरिहार्य हो जाता है। 16. इन दोनों अपीलों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने राय दी थी कि जांच एजेंसी के पास ऐसी सामग्री है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि आवेदक 1860 की संहिता की धारा 121 ए, 117 और 120 बी के साथ-साथ 1967 के अधिनियम की धारा 18 में निहित अपराधों को आकर्षित करने वाली एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उच्च न्यायालय ने 1967 के अधिनियम की धारा 18 बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबंधित संगठन के लिए कैडरों की भर्ती के आरोपों को लागू किया था। इसने उसी कानून की धारा 20 को इस आधार पर लागू किया कि अपीलार्थी प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य थे। इसी तरह, उच्च न्यायालय का विचार था कि 1967 के अधिनियम की धारा 38 और 39 अपीलार्थियों के खिलाफ आकर्षित की गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र में पर्याप्त सामग्री थी और यह मानने के लिए उचित आधार था कि 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप दोनों अपीलकर्ताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया सच था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की निरंतर हिरासत के कारक को ध्यान में नहीं रखा। लेकिन उच्च न्यायालय का फैसला 15 अक्टूबर 2019 को दिया गया था, जब अपीलार्थी एक साल से थोड़ी अधिक अवधि के लिए हिरासत में थे।

ग

डी.

17. एन. आई. ए. ने पत्रों के एक समूह का भी उल्लेख किया है जो कथित तौर पर तलाशी के दौरान सह-अभियुक्त व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद किए गए हैं। जिन दस्तावेजों पर एन. आई. ए. ने भरोसा किया है, उनमें साहित्य, पर्चे आदि हैं, जिनमें से कुछ अपीलार्थियों के आवासों से बरामद किए गए हैं। जहाँ तक उपरोक्त पत्रों का संबंध है, उनकी प्रतियाँ दोनों अपीलों के संबंध में दायर एन. आई. ए. के कोर्ट-हलफनामे के साथ संलग्न की गई हैं। हम इस फैसले में उनका उल्लेख उसी तरह करेंगे जिस तरह से उन्हें ए. एफ. की अपील में एन. आई. ए. के जवाबी हलफनामे में संख्यात्मक रूप से अनुलग्नक के रूप में वर्णित किया गया है। पहला दस्तावेज सुरेंद्र को संबोधित एक अज्ञात पत्र है, जो एक अनाम प्रेषक द्वारा लिखा गया है, जिसे अनुलग्नक "आर-6" के रूप में चिह्नित किया गया है। यह पत्र सह-अभियुक्तों में से एक के कंप्यूटर से बरामद होने का दावा किया जाता है और ए. एफ. और वी. जी. द्वारा रेडिकल स्टूडेंट यूनियन की पहल का उल्लेख करता है। यह पत्र प्राप्तकर्ता से अनुरोध करता है कि वह अरुण को मुरगन के कानूनी बचाव के लिए वित्त का प्रबंधन करने के लिए कहे। आगे दो अन्य व्यक्तियों का संदर्भ है जो स्पष्ट रूप से ए. एफ. और वी. जी. के संघर्षों से प्रेरित हैं।

ई.

च

जी.

एच.

901

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

क.

18. दूसरा दस्तावेज 18 अप्रैल 2017 का एक पत्र है, जिसे अनुलग्नक "आर-10" के रूप में चिह्नित किया गया है, जो एक "कॉमरेड प्रकाश" को संबोधित है और दावा किया जाता है कि "आर" द्वारा लिखा गया था। अभियोजन पक्ष का दावा है कि "आर" रोना विल्सन है। इस दस्तावेज में केवल दो अपीलार्थियों का संदर्भ यह है कि वे और अन्य लोग शहरी मोर्चे पर धीरे-धीरे आकार ले रहे "दो-पंक्ति संघर्ष" के बारे में समान रूप से चिंतित थे। जवाबी हलफनामे में इस पत्र के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है। इस पत्र की सामग्री से एजेंसी यह स्थापित करना चाहती है कि अपीलकर्ता प्रतिबंधित संगठन के वरिष्ठ नेता थे।

19. तीसरा दस्तावेज 25 सितंबर 2017 का एक पत्र है, जिसे "कॉमरेड प्रकाश" द्वारा लिखा गया अनुलग्नक "आर-12" के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर से बरामद किया गया है और इसका पता "कॉमरेड सुरेंद्र" है। यहाँ भी शोध विद्वानों को क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल करने के लिए प्रेरित करने में 'वर्नोन' और 'अरुण' की गतिविधियों की सराहना की गई है। वीजी के बारे में, यह दर्ज किया गया है कि एक "कॉमरेड जी" को वर्नोन से मिलने के लिए एपीटी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

ग

डी.

20. ए. एफ. के संबंध में, दारसू द्वारा सुरेंद्र को संबोधित एक दिनांकित पत्र, जिसे अनुलग्नक "आर-4" के रूप में चिह्नित किया गया है, में उनका नाम दिखाई देता है, जो हैदराबाद में प्राप्तकर्ता और अरुण द्वारा एक संयुक्त बैठक के आयोजन का उल्लेख करता है। अगला पत्र कथित तौर पर 5 नवंबर 2017 को सुरेंद्र द्वारा प्रकाश को लिखा गया था और इसे अनुलग्नक "आर-5" के रूप में चिह्नित किया गया है। यह केरल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर ("आई. ए. पी. एल.") की स्थापना को संदर्भित करता है जिसके लिए अरुण के साथ चर्चा की गई थी। एजेंसी के अनुसार, आई. ए. पी. एल.-एक वकील का निकाय प्रतिबंधित संगठन का एक अग्रणी संगठन है। इस पत्र में ए. एफ. और उसके लेखक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर केरल की प्रस्तावित यात्रा को दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रकाश ने सुरेंद्र को 16 जुलाई 2017 ("आर-7") को एक और पत्र लिखा। इस पत्र में हिरासत में लिए गए पार्टी के एक सदस्य की रिहाई के साथ-साथ हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के कानूनी बचाव के लिए धन जुटाने के संबंध में अरुण की चेन्नई की प्रस्तावित यात्रा का उल्लेख है। यहाँ भी ए. एफ. और वी. जी. के काम की सराहना की जाती है। अनुलग्नक "आर-22" में अगला पत्र सुधा भारद्वाज द्वारा प्रकाश को लिखे जाने का दावा किया गया है और यह पत्र "यू. ए. पी. ए. अधिनियम के खिलाफ उड़ता लोकतंत्र" नामक एक संगोष्ठी से संबंधित है जिसमें अरुण को भाग लेना था। अंत में अनुलग्नक आर-14 में एक पत्र है जो अनंतवा द्वारा कॉमरेड मोनीबाई को लिखा गया है जो मुंबई (बॉम्बे) में महान सर्वहारा क्रांति और नक्सलवादी संगठन की 50 वीं वर्षगांठ के उत्सव से संबंधित है और अभिलेख है।

ई.

च

जी.

एच.

902

कि पार्टी ने अपीलार्थी अरुण सहित विभिन्न संघों के साथियों को क्रांतिकारी बधाई भेजी थी।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा रोना विल्सन (अनुलग्नक "आर-3") के लैपटॉप से बरामद किए गए एक खाते के बयान का भी संदर्भ है। हम इस कथन को नीचे उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसा कि उक्त अनुलग्नक में दर्शाया गया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“मिलिंद से सुरेंद्र = आर = 2.5 एल

शोमा & सुधीर = आर और डी = 1 एल सुरेंद्र अमित बी = आर = 1.5 सीपीडीआर कैनवासिंग के लिए

ग

और T = R = 90T सुरेंद्र से (मिलिंद के माध्यम से) में = R = 1.8L कॉम मनोज से

अरुण = आर = कॉम दर्सु वी. वी. से 2 एल = आर = कॉम जी "से 5 एल।

डी.

22. इन पत्रों और बयानों के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा विभिन्न साहित्य, पुस्तकों आदि का उल्लेख किया गया है, जिन्हें वे ए. एफ. और वी. जी. के आवासों से बरामद करने का दावा करते हैं। इनमें मुख्य रूप से भारत में इसके अनुप्रयोग सहित चरम वामपंथी विचारधारा पर लेखन शामिल है। इसी तरह की सामग्री कथित तौर पर अन्य आरोपी व्यक्तियों से भी बरामद की गई है। कथित तौर पर मोबाइल फोन, टैबलेट, पेन ड्राइव और सहायक वस्तुओं जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों की बरामदगी की गई है। हालाँकि, इन उपकरणों से, हमारे सामने कोई सबूत नहीं दिया गया है जो ए. एफ. और वी. जी. को आतंकवादी कृत्यों और अन्य अपराधों में शामिल करेगा, सिवाय उन पत्रों के जिन पर एजेंसी द्वारा जोर दिया गया है। हम पहले ही उन पत्रों का उल्लेख कर चुके हैं जिन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसी अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के उपकरणों से बरामद करने का आरोप लगाती है जिसमें ए. एफ. और वी. जी. के संदर्भ हैं। अभियुक्त के स्थान और उनके अंतर-संगठन को स्थापित करने के लिए कॉल विवरण रिकॉर्ड भी संदर्भित किए गए हैं।

ई.

च

23. जहूर अहमद शाह वटाली (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसरण में इस स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे तब तक प्रभावी होने चाहिए जब तक कि

जी.

अन्य प्रमाण। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे-बनाम-राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एक अन्य [2022 एससीसी ऑनलाइन बम 5174] के मामले में

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रकृति में समान थे। उन पर 1967 के अधिनियम की सभी धाराओं का आरोप लगाया गया था जैसा कि ए में किया गया है।

एच.

धारा 40 को छोड़कर एफ और वीजी के मामले।बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2022 को दिए गए एक फैसले में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।उस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए एन. आई. ए. की याचिका [एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 11345/2022] को इस अदालत की एक समन्वित पीठ ने 25 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था।

24. जैसा कि एन. आई. ए. द्वारा उद्धृत साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट होगा, अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से किए गए कार्यों को तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।पहला एक आतंकवादी संगठन के साथ उनका जुड़ाव है जिसका दावा अभियोजन पक्ष पत्रों और गवाहों के बयानों से करता है, जिसका विवरण हमने ऊपर दिया है।लेकिन इन बयानों और दस्तावेजों के बारे में हमें जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि उनमें से किसी को भी अपीलार्थियों से जब्त या बरामद नहीं किया गया था, लेकिन ये बरामदगी कथित तौर पर सह-अभियुक्तों से की गई थी।अपीलार्थियों के कथित आक्रामक कृत्यों का दूसरा प्रमुख साहित्य में हिंसा का प्रचार करना और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने को बढ़ावा देना है।लेकिन फिर से, यह एन. आई. ए. का मामला नहीं है कि दोनों अपीलार्थियों में से कोई भी उनके आवासों से मिली सामग्री का लेखक है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।इनमें से किसी भी साहित्य को विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ताकि केवल उन्हें रखते हुए अपराध का गठन किया जा सके।तीसरा, जहां तक ए. एफ. का संबंध है, कुछ सामग्री वित्त के संचालन की ओर इशारा करती हैं।लेकिन इस तरह के वित्त, उन सामग्रियों के अनुसार जिनके माध्यम से लेनदेन स्थापित करने की मांग की जाती है, यह दर्शाता है कि लेनदेन मुख्य रूप से मुकदमेबाजी के उद्देश्य से था, यह हमें लगता है, हिरासत में लिए गए पक्ष व्यक्तियों की ओर से।इसके अलावा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के कानूनी मोर्चे के गठन या उसके साथ जुड़ाव का श्रेय भी ए. एफ. को दिया गया है।उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का विश्लेषण करते हुए यह मत नहीं व्यक्त किया कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच नहीं थे।अपीलार्थियों के विरुद्ध 1967 के अधिनियम के अध्याय 4 और 6 के अंतर्गत आने वाले अपराध धारा 16,17,18,18 बी, 20,38,39 और 40 हैं।हमने आरोप पत्र में परिलक्षित आरोपों की प्रकृति और एन. आई. ए. के हलफनामे को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि क्या इन सामग्रियों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह संतुष्ट करने के लिए उचित आधार बनाए हैं कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।1967 के अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप है और 1860 की संहिता के तहत कुछ अपराध अपीलार्थियों के खिलाफ भी हैं। लेकिन हम पहले उपरोक्त प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में अपीलार्थियों के मामले पर विचार करेंगे।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

904

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

25. धारा 16 आतंकवादी कृत्य और आतंकवादी कृत्य करने के लिए सजा निर्धारित करती है जिसे 1967 के कानून की धारा 15 में परिभाषित किया गया है।हम इन प्रावधानों को इस फैसले में पहले भी दोहरा चुके हैं।

26. अभियोजन पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सामग्री में, 1967 अधिनियम की धारा 15 (1) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यों का श्रेय अपीलार्थियों को नहीं दिया जा सकता है। न ही उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप है जो उक्त कानून की धारा 15 (1) के उपखंड (सी) को आकर्षित करे। जहां तक धारा 15 (1) (बी) में निर्दिष्ट कार्यों का संबंध है, अपीलार्थियों से कथित रूप से बरामद किए गए कुछ साहित्य स्वयं ऐसी गतिविधियों के प्रचार का संकेत देते हैं। लेकिन अपीलार्थियों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करे कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन या अपीलार्थियों द्वारा ऐसा करने के प्रयासों के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को परेशान करने वाली हों। न ही उनके खिलाफ किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मौत या ऐसे पदाधिकारी की मौत का प्रयास करने का आरोप है। केवल कुछ साहित्यों को धारण करना जिनके माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, वास्तव में उक्त अधिनियम की धारा 15 (1) (बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, हमारी राय में, हम यथोचित रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं कि 1967 अधिनियम की धारा 15 (1) (बी) के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी मामले को सही माना जा सकता है।

ग

डी.

27. 1967 के अधिनियम की धारा 17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने के लिए सजा से संबंधित है। यहां भी जिन निधियों से निपटने का श्रेय ए. एफ. को दिया गया है, उन्हें किसी भी आतंकवादी कृत्य से नहीं जोड़ा जा सकता है। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे (उपरोक्त) के मामले में वही लेखा विवरण संदर्भित किया गया था। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे के खिलाफ ऐसे आरोपों के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

“42. श्री पाटिल ने जोरदार तर्क दिया है कि पहले के पत्र का यह बयान धन की प्राप्ति का समर्थन करता है अर्थात् रु। 90,000/- आनंद टी. (अपीलार्थी) सुरेंद्र (अभियुक्त संख्या 3) से जो भविष्य के कार्यक्रमों के लिए धन प्रदान करने के लिए अधिकृत था। पहले के दिनांकित 02.01.2018 पत्र और उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ने पर यह देखा जाता है कि एन. आई. ए. के तर्क में एक भ्रांति है। यह मानते हुए कि आनंद टी. स्वयं अपीलार्थी हैं और उन्हें रु। सुरेंद्र से मिलिंद के माध्यम से 90,000/-, सबसे पहले इसे दिनांकित 02.01.2018 के पिछले पत्र में दिए गए विवरण से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि यह खाता विवरण वर्ष 2016 और या 2017 से संबंधित है।

जी.

एच.

905

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

क.

दस्तावेज का शीर्षक है; अर्थात्; सी. सी. से पिछले वर्ष प्राप्त पार्टी निधि। पिछले वर्ष का मतलब हमेशा 2016 का खाता होगा क्योंकि इस दस्तावेज का शीर्षक "अकाउंट्स 2 के 17" है जिसका अर्थ 2017 के लिए खाते होगा। इसके अलावा हमें यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि आनंद टी. अपीलार्थी है, इसके लिए और पुष्टि और साक्ष्य की आवश्यकता होगी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसे रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। यह दस्तावेज है

हस्ताक्षर किए बिना और सह-अभियुक्तों में से एक के लैपटॉप से बरामद किया गया है। इसलिए, इस प्रथम दृष्टया चरण में हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आनंद टी. यानी अपीलार्थी को रु. 90,000/- सुरेंद्र गाडलिंग से, जैसा कि एन. आई. ए. ने तर्क दिया है। हम यह कहने से डरते हैं कि हम एन. आई. ए. के तर्क से सहमत नहीं हो सकते।”

(जोर दिया गया)

28. यहां हमें यह बताना चाहिए कि एक अनाम व्यक्ति ने सुरेंद्र से एएफ को "इन मामलों" के वित्तीय खर्चों का प्रबंधन करने के लिए कहने का अनुरोध भी किया है। एएफ के मामले में एनआईए के जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक "आर-19" में भेलके उपनाम वाले एक अन्य अरुण का नाम सामने आया है। यह एक गवाह के बयान की प्रति है। प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की पुष्टि के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि यह वही अरुण (यानी ए. एफ.) था जिसे दरसू से धन प्राप्त हुआ था। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी पेश नहीं की है कि वास्तविक धन प्रेषित किया गया था। 5 नवंबर 2017 (आर-5) को सुरेंद्र द्वारा कथित रूप से प्रकाश को संबोधित किए गए पत्र में एएफ को किए गए किसी भी भुगतान की बात नहीं है। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे (ऊपर) के मामले में निर्णय के उपरोक्त उद्धरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लागू तर्क, जिसे इस न्यायालय द्वारा कायम किया गया है, ए. एफ. के मामले में भी लागू होना चाहिए।

डी.

ई.

च

29. हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे लिए यह राय बनाना संभव नहीं है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ आतंकवादी कार्य करने या साजिश रचने का आरोप प्रथम दृष्टया सच है। गवाह के बयान अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी आतंकवादी कृत्य का उल्लेख नहीं करते हैं। जिन पत्रों में अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी एक को संदर्भित किया गया है, उनकी प्रतियां विभिन्न व्यक्तियों के बीच संचार में निहित अपीलकर्ताओं की गतिविधियों की केवल तीसरे पक्ष की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया को दर्ज करती हैं। ये अपीलार्थियों से बरामद नहीं किए गए हैं। इसलिए, इन संचारों या उनकी सामग्री का संभावित मूल्य या गुणवत्ता कमजोर है। यह स्थिति होने के कारण, न तो धारा 18 के प्रावधान और न ही

जी.

एच.

906

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

18 बी को इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, अपीलार्थियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। नामित आतंकवादी संगठन की गतिविधियों के साथ अपीलार्थियों के संबंध को तीसरे पक्ष के संचार के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा, इनमें से किसी भी संचार से किसी भी आतंकवादी कृत्य में अपीलार्थियों की वास्तविक संलिप्तता सामने नहीं आई है। न ही 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत गिने गए अपराधों को करने की साजिश का कोई विश्वसनीय मामला है। सेमिनारों में केवल भाग लेना ही 1967 के अधिनियम की जमानत-प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अपराध नहीं हो सकता है, जिसके तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं।

30. जहाँ तक 1967 के अधिनियम की धारा 20 के अनुप्रयोग का संबंध है, बाम्बे उच्च न्यायालय ने डॉ. आनंद तेलतुम्बडे (उपरोक्त) के मामले में उक्त प्रावधान का निम्नलिखित तरीके से अर्थ निकाला:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“52. धारा 20 की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि केवल एक आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने पर ऐसे सदस्य को उपरोक्त सजा दी जाएगी। जो महत्वपूर्ण है वह आतंकवादी कृत्य है और अदालत को यह दिखाने के लिए अदालत के

समक्ष सामग्री देखने की आवश्यकता है कि ऐसा व्यक्ति आतंकवादी कृत्य में शामिल रहा है या उसमें शामिल रहा है। धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। वर्तमान मामले में, ऊपर उल्लिखित आपत्तिजनक सामग्री की जब्ती किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि अपीलार्थी ने यू. ए. पी. अधिनियम की धारा 15 के तहत 'आतंकवादी कृत्य' किया है या उसमें शामिल है।

डी.

ई.

31. इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है और हम यह परीक्षण करने के लिए 1967 के अधिनियम की धारा 20 को दी गई इस व्याख्या की पुष्टि करते हैं कि कौन आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होगा। इसके अलावा, एन. आई. ए. द्वारा हमारे सामने कोई सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई है कि अपीलकर्ता आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक अग्रणी संगठन के रूप में आई. ए. पी. एल. के साथ ए. एफ. की भागीदारी स्थापित करने की मांग की गई है, और इसका उल्लेख आरोप पत्र में भी किया गया है। लेकिन आई. ए. पी. एल. और सी. पी. आई. (माओवादी) के बीच संबंध को किसी भी सामग्री के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। ए. एफ. और वी. जी. को सी. पी. आई. (माओवादी) के सदस्यों के रूप में संदर्भित करना संरक्षित गवाह के बयान से प्रकट होता है, लेकिन यह संबंध वर्ष 1 के बीच की घटनाओं के संबंध में बनाया गया है, इससे पहले कि संगठन को 1967 के अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद सदस्यता जारी रखने का कोई सबूत नहीं है

च

जी.

एच.

907

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

हमारे ध्यान में लाया गया। न ही आई. ए. पी. एल. को सी. पी. आई. (माओवादी) के साथ इसके अग्रणी संगठन के रूप में जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत है। हम पहले से ही इस निर्णय के पहले के पैराग्राफ में आतंकवादी कृत्यों के संबंध में अपीलार्थियों की स्थिति पर विचार कर चुके हैं और हम प्रथम दृष्टया नहीं सोचते हैं कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर कार्यवाही के इस चरण में अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 20 लागू की जा सकती है।

32. "1967 के अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित आतंकवादी अधिनियम का अर्थ धारा 15 में दिया गया है। यह धारा यह भी निर्धारित करती है कि "आतंकवाद" और "आतंकवादी" शब्दों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा। इसका तात्पर्य इन दोनों अभिव्यक्तियों का निर्माण उसी तरह से करना है जैसे धारा 15 में किया गया है।

ग

"धारा 2 (एम) में आतंकवादी संगठन को स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या उसी नाम के तहत काम करने वाला संगठन जो इस तरह से सूचीबद्ध संगठन है। लेकिन जहां तक "आतंकवादी" शब्द का संबंध है, इस धारा में भी इसकी व्याख्या उसी अभिव्यक्ति से संबंधित होगी जिसका उपयोग धारा 15 में किया गया है। यह सांविधिक निर्माण के मूल नियमों में से एक है कि किसी कानून के विभिन्न भागों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति सामान्य रूप से एक ही अर्थ व्यक्त करेगी—जब तक कि एक ही अधिनियम के विभिन्न भागों से विपरीत इरादा प्रकट न हो। हम 1967 के अधिनियम में ऐसा कोई विपरीत इरादा नहीं पाते हैं।

डी.

ई.

33. 1967 के अधिनियम की धारा **38** में शीर्षक या शीर्षक "अपराध" है।

एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित।जैसा कि हमारे पास है।

पहले से ही देखा गया है कि एक आतंकवादी कृत्य का अर्थ उसकी धारा 15 में दिए गए अर्थ को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए।हम इस प्रावधान की अपनी व्याख्या पहले ही दे चुके हैं।“आतंकवादी संगठन “[जैसा कि धारा 2 (एम) में नियोजित है], हमारी राय में केवल एक नामकरण नहीं है और इस अभिव्यक्ति का अर्थ एक ऐसा संगठन होगा जो आतंकवादी कृत्यों को जारी रखता है या इसमें शामिल होता है, जैसा कि उक्त धारा 15 में परिभाषित किया गया है।उक्त अधिनियम की धारा 2 (के) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद शब्द की व्याख्या उसकी धारा 15 में 'आतंकवादी अधिनियम' के अर्थ के साथ की जानी चाहिए।

च

जी.

34. इस संदर्भ में, अपीलार्थियों को **1967** के अधिनियम की धारा **38** के दायरे में लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को उक्त संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से अपने जुड़ाव को प्रथम दृष्टया स्थापित करना चाहिए।यह तभी होता है जब आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा होता है

एच.

908

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

प्रथम दृष्टया स्थापित होने पर, अपीलार्थियों को आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध के दायरे में लाया जा सकता है।**1967** के अधिनियम की धारा **38** के दायरे में लाने के लिए, यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई सहयोगी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का दावा करता है।लेकिन इस तरह के प्रावधान के तहत फंसाये गए व्यक्ति की ओर से इस तरह के संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा होना चाहिए।लेकिन **1967** के अधिनियम की धारा **38** में संलिप्त एक कथित अपराधी के संबंध में धारा **20** के तहत एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता के संबंध में यही तर्क लागू होना चाहिए। आतंकवादी कृत्य में शामिल होने का इरादा होने का सबूत होना चाहिए।जहाँ तक अपीलार्थियों का संबंध है, इस स्तर पर हमारे सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें।

ग

35. इस न्यायालय के तीन फैसलों में, हितेंद्र विष्णु ठाकुर

और अन्य-बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(1994) 4 एस. सी. सी. 602], निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी, अधिवक्ता-बनाम-जितेंद्र भीमराज बिज्या और अन्य [(1990) 4 एस. सी. सी. 76] और उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन और अन्य-बनाम-गुजरात राज्य [(1988) 2

डी.

एस. सी. सी. 271], जिस तरीके से किसी कानून के कड़े प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए, उसे निर्धारित किया गया है। तीनों प्राधिकरणों में, इस न्यायालय का अवलोकन रहा है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, यह आकलन करने से पहले कि क्या अधिनियम लागू होगा या नहीं।जब कानूनों में कड़े प्रावधान होते हैं तो न्यायालय का कर्तव्य अधिक कठिन होता है।अपराध चाहे जितना भी गंभीर हो, इस बात का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराध अधिनियम के चारों कोनों के भीतर आता है। हालाँकि ये निर्णय आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम)

अधिनियम, 1987 के तहत समान कठोर प्रावधानों का परीक्षण करते हुए दिए गए थे, वही सिद्धांत 1967 के अधिनियम के संबंध में भी लागू होगा।

ई.

च

36. जहूर अहमद शाह वटाली (ऊपर) के मामले में, यह है

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति का अर्थ यह होगा कि आरोप पत्र में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री/साक्ष्य तब तक प्रबल होना चाहिए, जब तक कि अन्य साक्ष्य द्वारा इसे दूर या गलत साबित नहीं किया जाता है, और इसके बावजूद, सामग्री को कथित अपराधों को करने में ऐसे अभियुक्त की संलिप्तता दिखानी चाहिए। यह अनुपात इस बात पर विचार करता है कि इसके बावजूद, अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रबल होना चाहिए। हालाँकि, हमारी राय में, यह प्रथम दृष्टया "परीक्षण" को तब तक संतुष्ट नहीं करेगा जब तक कि जमानत देने के प्रश्न और गुणवत्ता या ए की जांच के चरण में साक्ष्य के संभावित मूल्य का कम से कम सतह-विश्लेषण न हो।

जी.

एच.

909

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

संभावी मूल्य न्यायालय को उसके मूल्य से संतुष्ट करता है। अपीलार्थियों के मामले में, जिन पत्रों के माध्यम से अपीलार्थियों को फंसाने की मांग की जाती है, उनकी सामग्री सह-अभियुक्त से बरामद सुनी-सुनाई गवाही की प्रकृति की होती है। इसके अलावा, इन पत्रों में अपीलकर्ताओं को किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, या इन दोनों अपीलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली कोई अन्य सामग्री नहीं दी गई है। अभियुक्त की गतिविधियों का संदर्भ वैचारिक प्रचार और भर्ती के आरोपों की प्रकृति में है। अपीलार्थियों द्वारा प्रेरित इस "संघर्ष" में कथित रूप से भर्ती किए गए या शामिल हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत हमारे सामने नहीं लाया गया है। इस प्रकार, हम एन. आई. ए. के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ताओं ने एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध को अंजाम दिया है।

ग

37. सामग्री के दूसरे सेट में गवाह के बयान शामिल हैं। तीन गवाहों द्वारा अपीलार्थियों को आतंकवाद के किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। हम इस फैसले में पहले उनके बयानों के सारांश पर चर्चा कर चुके हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि साहित्य को केवल अपने पास रखना, भले ही उसकी सामग्री हिंसा को प्रेरित करती हो या उसका प्रचार करती हो, अपने आप में 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के भीतर कोई भी अपराध नहीं हो सकता है।

डी.

38. हम पहले ही 1967 के अधिनियम की धारा 38 और 39 का विश्लेषण कर चुके हैं। आतंकवादी संगठन की "आगे की गतिविधियों के इरादे" वाक्यांश के लिए हमारे द्वारा दी गई व्याख्या भी उसी कानून की धारा 39 के संबंध में उसी तरह से लागू हो सकती है। 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी (5) के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने या ऐसा करने की साजिश रचने के अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है।

ई.

39. जहाँ तक एक आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का संबंध है, हम इस स्तर पर, बेहतर सबूत के अभाव में, 1967 के अधिनियम की धारा 40 को आकर्षित करके जमानत-प्रतिबंध खंड को लागू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं मानते हैं।

40. हम इन निष्कर्षों को वापस कर रहे हैं क्योंकि 1967 के अधिनियम के तहत जमानत के सवाल की जांच करते समय अदालत पर प्रतिबंध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के प्रावधानों की तुलना में कम कठोर हैं। 1985 के अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित वस्तु के साथ किसी आरोपी को जमानत देने के लिए हमसे यह नहीं कहा जाता है कि हम यह विश्वास कर सकें कि कोई आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और वह दोषी नहीं है।

जी.

एच.

910

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना। यहां, हमें खुद को संतुष्ट करना होगा कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए कथित निर्दिष्ट अपराधों को प्रथम दृष्टया सच नहीं माना जा सकता है।

41. अब हम 1967 के अधिनियम के तहत अन्य अपराध की ओर रुख करेंगे, जो इसकी धारा 13 और 1860 संहिता के अपराधों के तहत है। जमानत के लिए अपीलार्थियों की याचिका को उचित ठहराने का पैमाना इस संदर्भ में हल्का है। अपीलार्थी लगभग पाँच साल की नजरबंदी में हैं। के. ए. के मामलों में

नजीब (ऊपर) और एंजेला हरीश सोनटक्के (ऊपर), मुकदमे में देरी

अभियुक्त की जमानत याचिका की जांच करते समय इसे एक प्रासंगिक कारक माना गया था। के. ए. नजीब (उपर्युक्त) के मामले में, विशेष रूप से, यही प्रावधान, यानी धारा 43 डी (5) शामिल था।

ग

42. इन दो कार्यवाहियों में, अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन के रूप में, सजा की एक महत्वपूर्ण अवधि को पार नहीं किया है जो अंततः उनके खिलाफ लगाई गई हो सकती है यदि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप स्थापित कर सकता है। लेकिन के. ए. नजीब (उपर्युक्त) में निर्धारित कानून का मौलिक प्रस्ताव, कि जमानत-प्रतिबंध खंड परीक्षण में संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता है, यदि किसी मामले में निरंतर निरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता की अवधारणा का उल्लंघन करता है, तो ऐसे मामले में लागू होगा जहां इस तरह के जमानत-प्रतिबंध खंड को प्रथम दृष्टया कम संभावित मूल्य या गुणवत्ता वाली सामग्री के आधार पर लागू किया जा रहा है।

डी.

ई.

43. जहूर अहमद शाह वटाली (ऊपर) के मामले में जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल-बनाम-के फैसले का संदर्भ दिया गया था।

तमिलनाडु राज्य [(2005) 2 एस. सी. सी. 13] जिसमें राज्य बनाम-जगजीत सिंह (ए. आई. आर.) के मामलों में इस अदालत के पहले के दो फैसलों का हवाला दिया गया है।

1962 एससी 253) और गुरचरण सिंह-बनाम-राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली)

[(1978) 1 एस. सी. सी. 118], सामान्य परिस्थितियों में जमानत देने के कारकों पर चर्चा की गई। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, साक्ष्य की प्रकृति, परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, मुकदमे में

अभियुक्त की उपस्थिति के सुरक्षित नहीं होने की एक उचित संभावना; गवाहों के शांत होने की उचित आशंका; जनता या राज्य का व्यापक हित जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक कारक होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 पर स्थापित अपीलार्थियों के मामले को उपरोक्त आरोपों के साथ जोड़ते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्हें हिरासत में लिए जाने के लगभग पांच साल बीत चुके हैं, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थियों ने जमानत देने के लिए मामला बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल इसी कारण से जमानत नहीं दी जा सकती।

च

जी.

एच.

911

वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

उन्हें अस्वीकार कर दें। 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों से निपटने के दौरान, हमने इस स्तर पर उनके खिलाफ उपलब्ध सामग्री का उल्लेख किया है। 1860 की संहिता और 1967 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत मामले के अंतिम परिणाम के लंबित रहने तक ये सामग्री अपीलार्थियों की निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकती हैं।

44. अपीलार्थियों को जमानत देने पर अपनी राय बनाते समय, हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि वी. जी. को पहले 1967 के अधिनियम के तहत अन्य बातों के साथ-साथ अपराधों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था और इसी तरह की गतिविधियों के आरोपों पर उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी लंबित है। इसलिए, हम दोनों के संबंध में उचित शर्तें लगाने का प्रस्ताव करते हैं, जिनका उन्हें जमानत पर रहते हुए पालन करना होगा।

ग

45. हम तदनुसार विवादित निर्णयों को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं को उन मामलों (मामलों) के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए जिनमें से वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं, ऐसे नियमों और शर्तों पर विशेष न्यायालय उचित और उचित मान सकता है, यदि अपीलकर्ता या उनमें से कोई भी किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित नहीं है। विशेष न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों में शामिल हैं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(क) 2023 की आपराधिक अपील में अपीलार्थी वनॉन गोंजाल्विस और 2023 की आपराधिक अपील में अपीलार्थी अरुण फरेरा जमानत पर रिहा होने पर निचली अदालत से अनुमति प्राप्त किए बिना महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगे।

ई.

(ख) दोनों अपीलार्थी एन. आई. ए. के जांच अधिकारी के साथ जमानत पर रहने की अवधि के दौरान, यदि उनके पास ऐसा है, तो अपने पासपोर्ट सौंप देंगे।

(ग) दोनों अपीलार्थी एन. आई. ए. के जाँच अधिकारी को सूचित करेंगे कि वे किस पते पर रहेंगे।

च

(घ) जमानत पर रहने के दौरान दोनों अपीलार्थी केवल एक-एक मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे और एन. आई. ए. के जांच अधिकारी को अपने-अपने मोबाइल नंबरों की जानकारी देंगे।

जी.

(ई) दोनों अपीलार्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके मोबाइल फोन सक्रिय रहें और चौबीसों घंटे चार्ज रहें ताकि वे जमानत पर रहने की अवधि के दौरान लगातार सुलभ रहें।

एच.

912

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(च) इस अवधि के दौरान, जिस अवधि के दौरान वे जमानत पर रहते हैं, दोनों अपीलार्थी अपने मोबाइल फोन के स्थान की स्थिति को दिन में 24 घंटे सक्रिय रखेंगे और उनके फोन को एन. आई. ए. के जांच अधिकारी के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वह किसी भी समय अपीलार्थी के सटीक स्थान की पहचान कर सके।

(छ) दोनों अपीलार्थी उस पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में वे सप्ताह में एक बार जमानत पर रहते हुए रहेंगे।

46. यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, या विचारण न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाई जाने वाली किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए इस न्यायालय को आगे कोई निर्देश दिए बिना प्रत्येक या किसी भी चूक करने वाले अपीलार्थी की जमानत को रद्द करने की मांग करने का अधिकार होगा। इसी तरह, यदि अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गवाह को धमकी देना या अन्यथा प्रभावित करना चाहते हैं, तो भी अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष उचित आवेदन करके संबंधित अपीलार्थी की जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ग

डी.

47. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति है।

48. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

ई.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

च

जी.

एच.